

Legislation Regulations and General Information of the World Human Rights Council

(1) World Human Rights Council: -

The World Human Rights Council is a social organization. As the name suggests, this organization has been designed to fulfill the objectives of reaching the governance administration to the problems of common people with the help of the government for the prevention of human rights violation and human rights abuses. The main purpose of the council is to spread the maximum rights of human rights protection. By which the common man can know their rights and when the public is aware of their rights and social justice then the common masses of the country will be able to live a happy life, and there will be a happy environment in society. Any person, For small things, they will not go to the police station and shelter of the court and set the example of national unity and brother fodder. This will not only send the message of humanity throughout the whole of India, but also the name of the country which illuminated the country. Establishing national unity by working in social interest at national and international level is our ultimate objective. Many different cells have also been formed in view of various aspects of society in this Council. All the cells are fed and guarded by the legislation of the Council, similar to the main council. The founder members, mainly National President / Founder / National Convenor / Protector (who will not be elected), apart from this, the term of all the office bearers has been kept for 01 years, which can be reduced or enhanced by looking at the time and circumstances. This Council has been created by being motivated by service. No one is nominated with any other effect in this Council, if any such officer is found, by doing so, after getting the notification, it can be concluded with immediate effect and appropriate action can be taken against him.

(2) Goals and Objectives: -

The World Human Rights Council holds true integrity and trust and faith in the Constitution of India. With the inspiration from the ideals of the Father of the Nation, freedom fighter Mahatma Gandhi, Constitutionalist Dr. Bhimrao Ambedkar, Mother Teresa, former judge P N Bhagwati, the World Human Rights Council, all rights such as human rights, child rights, women's rights, which are described in the Constitution, include democracy, secularism and Believes in socialism. And the belief of the World Human Rights Council In which the general public can be aware, promote education, peace, and live a happy life with their rights. The Council recognizes the right to oppose a peaceful and democratic way. This includes satyagraha and peaceful protest. The World Human Rights Council will maintain true faith and integrity to the Constitution of India established by the law and will keep hostility towards the principles of embedded human rights, socialism, secularism and social justice. The World Human Rights Council will maintain India's sovereignty, unity and integrity as integral.

(3) Is the World Human Rights Council registered?

Registered organization under the Indian Trust Act 1882, whose registration number is 16/2015, and the unique ID issued by the Policy Commission of the Government of India is UP/2018/0199150 and the registration number UAM NO by the industry base. UP50D0015583 and ISO 9001: 2015 Certified Organization.

The objective of the World Human Rights Council is that neither corruption nor corruption will maintain a new precedent because corruption is eradicating to create a new India. The organizers of the organization will not compromise on corruption at any cost, the World Human Rights Council and all its chambers / councils Is the organ of.

(4) How to become a member:

Every member who joins the World Human Rights Council can fill out the complete application form along with a membership fee of Rs 150 / - but can become the initial member of the organization, but every initial member is required to deposit a monthly fee of Rs 10 / - per month, otherwise membership will be terminated. Will happen. The amount is directly deposited in the bank account of the Organization (World Human Rights Council), under the supervision of the National President, the Central Committee Office, Operations, Research, Human Rights Awareness Campaign, Human Rights Education, Free Legal Advice, Writing Materials and Organizing In the peaceful movement-demonstration movements etc., which will be used for the acquisition of rights, will spend.

(5) Participation of the contribution amount and the fee per member per member, Rs. 10 / - per month Rs. 02 / - Local Committee, Rs. 02 / - in the District Committee, Rs. 02 / - in the State Committee and Rs. 04 / - (Balance) is divided into the National Committee / National Committee.

(6) Introduction letter is issued after completing the complete application form for obtaining the introduction letter of the other fee board, which is valid for one year. (It charges Rs 150 / -)

Note: - This charge is only for initial members.

(7) Getting donations and collaboration money. In spite of being a member of the council, even if a donor wishes to contribute to the development of the council, then they can accept receipt receipt by depositing the amount in the concerned account of the World Human Rights Council and sending the photo copy of the head office of the depositor. This amount will be used in the interest of the society and whose entire details will be made public before the core committee will be required.

(8) The executive of the Council can be promoted and promoted to human rights through councils throughout India, and to get the social, administrative and government benefits to the

needy, for which National Council of the Council and constituted the Cells as per the requirement. Which will be as follows:

The National Executive is as follows: -

01. National President: - The person himself or himself appointed by the founder.
02. National convener one post
03. National Protector one post.
04. National Protector four posts
05. National Chief Advisor one post .
06. National Advisor four post.
07. National Sr.Vice President two Post.
08. National Vice President Five Post.
09. National Secretary eight post.
10. National Chief General Secretary one post .
11. National General Secretaries Four Post.
12. National Organization Secretary four post
13. National P.R.O.one post
14. National Legal Advisor Four post.
15. National Media charge four post.
16. National Spokesperson four post.
17. National Treasurer one Post.
18. National Executive member as required.
19. Lifetime members and special invitees as required.

Zonal executive.

- 01Zonal President : - The person appointed by the founder president.
02. Zonal convener one post.
03. Zonal Chief protector one post.
04. Zonal Protector Four Post.
05. Zonal Chief Advisor one post.
06. Zonal Advisor four post.

07. Zonal Sr. Vice President one Post.
08. Zonal Vice President Five Post.
09. Zonal secretary eight post.
10. Zonal Chief Secretary General one post .
11. Zonal General Secretary four post.
12. Zonal organization secretary four post.
13. Zonal P.r.o one post
14. Zonal Legal Advisor four post.
15. Zonal Media Incharge four post.
16. Zonal spokesperson four post.
17. Zonal Treasurer one post.
18. Zonal executive member as required.
19. Lifetime members and special invites as required.

State executive.

01. State President : - The person appointed by the founder president.
02. State convener one post.
03. State Chief Protector one Post.
04. State Protector four post.
05. State Chief Advisor one post.
06. State Advisor four post.
07. State Sr. Vice President one Post.
08. State Vice President Five Post.
09. State Secretary eight posts.
10. State Chief General Secretary one post.
11. State General secretary four posts.
12. State Organization Secretary four posts.
13. State P.r.o one post.
14. State Legal Advisor Four Post
15. State media Incharge four posts.
16. State spokesperson four posts.
17. State Treasurer one Post.

18. According to the requirement of the state executive member

19. Lifetime members and special invitees as required.

Mandal executive

01. Mandal President one Post.

02. Mandal Convener one post.

03. Mandal protector one post.

04. Mandal Protector four post.

05. Mandal Chief Advisor one Post.

06. Mandal Advisor four post.

07. Mandal Sr.Vice President one Post.

08. Mandal Vice President Five Post.

09. Mandal Secretary eight post.

10. Mandal Chief General Secretary one post.

11. Mandal general secretary four posts.

12. Mandal organization secretary four post.

13. Mandal P.r.o one post.

14. Mandal Legal Advisor four posts.

15. Mandal Media charge four posts.

16. Mandal Spokesperson four posts.

17. Mandal Treasurer one Post

18. According to the requirement of the Working Committee members.

19. Lifetime members and special invites as required.

District executive

01. District President one post.

02. District Convener one post.

03. District Chief Protector one Post.

04. District Protector two post.

05. District Chief Advisor one post.

06. District Advisor two post.

07. District Sr.vice president one post.
08. District Vice President three post.
09. District Secretary four posts.
10. District Chief General Secretary one post.
11. District General Secretary two post.
12. District Organization Secretary two Post .
13. District P.R.O one post.
14. District Legal Advisor two post.
15. District Media Incharge two post.
16. District Spokesperson two post.
17. District Treasurer one Post.
18. District executive member as required.
19. Lifetime members and special invites as required.

Tahsil / Block / Town / Executive

01. Tahsil President one post.
02. Tahsil convener one post.
03. Tahsil Chief Protector 0.
04. Tahsil protector two post.
05. Tahsil Chief Advisor 0.
06. Tahsil Advisor two posts.
07. Tahsil Sr.vice president one post.
08. Tahsil vice president two post.
09. Tahsil Secretary's two post.
10. Tahsil General Secretary Chief 0.
11. Tahsil general secretary two post.
12. Tahsil organization secretary two post .
13. Tahsil P.R.O one post.
14. Tahsil Legal Advisor two post.
15. Tahsil Media Incharge two post.
16. Tahsil Spokesperson two post.
17. Tahsil Treasurer one post.
18. Tahsil Executive member as required.

19. Lifetime members and special invitees as required.

The following cells of the World Human Rights Council are constituted.

1. Minority cell
2. Women Cell
3. Legal Cell
4. Youth cell
5. Information R.T.I cell
6. OBC Cell
7. SC / ST cell.

Note: - All the above Cells and all the zones, the office bearers of the state will remain in accordance with the Executive Committee of the Executive, besides the selection of the officials of the Mandal, District, Tahsil, Block, city, will be done as per requirement. Each cell will be a national president of the World Human Rights Council. Who will work directly under the leadership of the Chief National President. The zonal presidents mentioned above will see the work of states coming in their respective zones. At the same time each state will directly direct the national president to its organizational activities, while on the other hand the state in charge and state president will direct their zonal chair to the direct reporting of social and organizational activities of their state. In certain subjects, any member of the council can do direct reporting to him on the instructions of the national president. This rule will be implemented separately for the main council and each of its cells so that the World Human Rights Council can make its social service smoothly.

Welcome to the World Human Rights Council: -

The World Human Rights Council is a social trust registered under the Indian Trust Act 1882. This is a non-governmental, non-national national organization. Our task is to make people aware of the society and reach their governance administration. The national president and its authorized officer have the right to make / renew / cancel only a new member. For any post / post / or member, any National Officer / Zonal Officer / State President or State Officer / Mandal President / Officer / District, City, Tehsil Block, President or Officer, give you nomination or ID Card, if letter / I Please inform your letter and ID number at the member who receives the card or whatsapp, 09454110126, 09794100006, 8802752786,9914776666 or mail so that the member's letter and identity Verify the cloak. Since no card letter can be issued fake and kept closely monitored.

Note: Only those who are on the Council website are our office bearers / members. (Organization and Newspaper related to the World Human Rights Council, International Human Security and Justice Council, World Muslim Board, All India Press Council, Indian Voters' Awareness Association, All India Muslim Conference, Indian Council of Recognized Journalism, Anti-Terrorism and Anti-Corruption Organization, Media Times , Lucknow, independent format. The objectives of the World Human Rights Council Family Council The fifth installment day will be celebrated on 02.02.2019 with the successful discharge, it will be the fifth consecutive day of the Council, the establishment day of all the citizens, the World Human Rights Council does not discriminate against any religion, and does not discriminate at all religions, Has the right to believe in religion, so the religious people of the heart of all national festivals except Holi, Id, Bakra- eid, Deepawali, Chhath Best wishes, celebrate all the festivals with peace and brotherhood and introduce national unity.

Subscription Fee / Co-operation and Donation Deposit

Deposit any kind of transaction or membership fee only in the account of the World Human Rights Council. The council will not be held responsible for any kind of cash transaction. India will become cashless then only then will India go forward For more information, contact: - 09454110126, 09794100006.

World Human Rights Council: -

World Human Rights seek to create a school for old age / old school for the elderly for social development, so that people of the society can be benefited by the people who fall under the category of poor and helpless people. Cooperators donate money to the council in this work, by donating in the construction of old age homes or school / Vradhashram with construction materials or money-money for the work of this holy work. Oxygen cylinder for council society, utensils, valleys, mattresses, pillows, sheets, bicycles, or accessories for the daughter's wedding, will start free service for the benefit of society. Anyone who wishes to cooperate in it, can contact the Head Office and receipt acknowledgment will also be given. Support the Council in the social work of council and enjoy the service. The name of the donor and donor will be mentioned in the donor board. Donations on-line, transfer, check, draft will be admissible only in the name of the World Human Rights Council. For more information, contact: - 09454110126 09794100006, 8802752786,9914776666.

Email ID: - vmpgov.np@gmail.com, vmpgov.786@gmail.com.

The executive's accountability will be as follows: -

The responsiveness of each executive will be as follows: -

National President and his national executive at the National / Central level, Zonal level zonal President and his zonal executive, state president at state level and his state executive, Mandal

President at the level of the mandal and his executive, District President and his executive at district level, its Besides, each tehsil / block and city level will be constituted by the President and its executive. Similar rule would be applicable in all cells too.

9) The division of posts in each level committee or executive is as follows: -

01. National President: - The person himself or himself appointed by the founder.
02. National convener one post
03. National Protector one post.
04. National Protector four posts
05. National Chief Advisor one post .
06. National Advisor four post.
07. National Sr.Vice President two Post.
08. National Vice President Five Post.
09. National Secretary eight post.
10. National Chief General Secretary one post .
11. National General Secretaries Four Post.
12. National Organization Secretary four post
13. National P.R.O.one post
14. National Legal Advisor Four post.
15. National Media charge four post.
16. National Spokesperson four post.
17. National Treasurer one Post.
18. National Executive member as required.
19. Lifetime members and special invitees as required.

(10) Presently there will be the following cells under the World Human Rights Council: -

1. Minority cell
2. Women Cell
3. Legal Cell
4. Youth cell
5. Information R.T.I cell
6. OBC Cell

7. SC / ST cell.

(11) Important rules of the Council

Posters / banners / flaxes in any programs of the World Human Rights Council, it is compulsory to place the photographs of Honorable National President and other high officers at a respectable place, as well as the Council website www.vmpgov.com.

01. To ensure the functioning of the World Human Rights Council smoothly and to bring the problems of the common people to the governance administration and to make the society fear-free, crime free from time to time, the formation of posts and cells as necessary and the circumstances under time Posts and Cells can be dissociated as necessary, or for specific reasons, the Cell or the Executive will not be informed. These can be dissolved. This right is only to the National President.

02. In general, with the list of various level chairmen or related officials, after 30 to 45 days or within the last 90 days, it is recommended to the National President with the list of their executive constitutions, if it does not happen, then his nomination should be terminated. And the new chairman or the concerned officer can be nominated, but if the new chairman is required to form the executive, then the concerned post The clerics can be nominated. If there is no appointment made by the chairperson or other office bearers of various levels, who have been given the responsibility for the creation of the executive, if they are not made in the appointed time, or if the information is not given, they will be given their notice without any information or appoint any other person. can be done.

03. In India, the state or place where the executive is not formed, the in-charge is appointed in the council or outside, for whose work the name of the right person will be given to the national president for the post of president.

04. According to the need, the council can be amended from time to time in the Council, whose copyright is protected by the National President / Founder Chairman.

05. If any of the officials or members of the Council do any kind of illegal acts as work of damaging or harming any national heritage of India or for any crime, spreading the environment of hatred or unrest in society Personally responsible and the national president or other members of the council will not be held liable for any such crime Is done or proven, even if the person's information is not received or found, that person will be considered exempt / exempt from the council itself.

06. Any letter pad, seal, I.D card etc. of the Council are misused by any current or former office-bearer, member, worker, initial / ordinary member or other person and against the members of the Council, they are unnecessarily harassed, harassed, defamed, image Social media, oral-written etc., in any manner, do any action with the purpose of spoiling, filed a dispute before the court. And he will be responsible for the necessary legal proceedings and the expenses incurred in this legal proceeding will be borne by him.

07. There is no election of the National President (Founding President) in the World Human Rights Council, except to the National President, the President has the absolute right to nominate or remove the office bearer of any post or the President. And national president can entrust special assignment to anybody But, after fulfilling his term or in the meanwhile, any officer or member may be discharged immediately after getting involved in mis-conduct or any crime.

(12) Rules of World Human Rights Council: -

01. Name of organization: - World Human Rights Council.

02. Definition of Membership: - Any Indian person can become a member who wants to serve in a unselfish and unambiguous position in the Council, any court of India has not been penalized, as well as any police station No criminal laws are registered in, and not a member of any banned organization, along with the development of the nation, human rights education, propaganda of human rights and social Work up to the willing and the spirit of the Council and ideology and the Council to follow the scope set out consistent with the Constitution, which will be subscription service.

03. Entry and qualifications for membership: -

No merit is fixed. It is at the discretion of the President / In-charge, but according to the topics of the parent organization and its cells.

04. Membership Fee: -

Any person who is mandatory to pay membership fees according to the rules of organization

A) General membership fee of Rs.150 / -

B) The district president will deposit Rs 525 / and other district level officers Rs 525 / -.

C) Rs 2100 / - and other state level officers will pay Rs.1100 / - for the state president.

D) Lifetime membership fee of Rs 2100 / - will be made by the life member of the council and Rs 1100 / - for active members.

Note: National President can cancel or reinstate membership of any official or member.

(13) In any dispute, the jurisdiction will be Lucknow.

(14) Some important and general information of the World Human Rights Council and related organization / cell has been displayed here. From the point of view of the Council's rules (1) to (14) which is displayed here, will be applicable to all the organizations / cell affiliated to the Council and Council. The full rules of the Council, information of the bye-law and members of the office can be seen in the head office on the working day.

What are human rights :

Human rights refer to all those rights which are related to the common man's life, liberty, equality and prestige. This right has been described in the name of basic rights in Part III of the Indian Constitution and is enforceable by the court. Apart from this, rights which have been accepted by the General Assembly of the United Nations as a result of the international agreement and are enforceable by the courts of the country, are called human rights. These rights include the right to live in a pollution free environment, rights related to torture and abusive behavior in custody, and the right to practice with women.

Rights obtained regarding the investigation work: -

While examining any complaint under the Act, all the rights of the Civil Court under the Civil Procedure Code-1908 of the Commission are obtained. The right to specifically summon the concerned party and the witnesses and to force them to appear in front of the commission and to swear by the oath, the right to order a document and submit it, testify on oath. The right to take and the right to demand a copy of a government record or copy thereof from any court or office, witnesses or documents Right to issue commission for checking The commission also has a police research team, through which the cases are examined.

Functions of the Human Rights Commission in Uttar Pradesh:

Under the Human Rights Protection Act-1993, the following works will be done by the Uttar Pradesh Human Rights Commission: -

1. If the complaint is made by self or by victim or by requesting a petition from another person on behalf of him, that a human servant has been violated or has been provoked to do so by a government servant or he has prevented such a crime If you have ignored, then investigate such complaints.
2. Participation in the proceedings of such a matter with the approval of the relevant court in the case of the human rights abuses in a court.
3. In order to study the residential conditions of residents of any institute where people are restricted or restricted to medical reform or safety under the control of a prison or state government, inspecting them and inspecting them give your suggestions.
4. Reviewing the safeguards provided for protection of human rights by the Constitution and any other law and suggesting in relation to their effective implementation.
5. Reviewing terrorism and all such activities, which interfere with the consumption of human rights and suggest remedies for their redress?
6. Holding and promoting research work related to human rights.
7. To spread awareness about human rights related education in various sections of society and to raise awareness about human rights related measures through publications, communication channels and seminars and other available resources.
8. Providing support to NGOs and institutions in the field of protecting or empowering human rights which protect the rights of the general public.

with best wishes.

M. R. Ansari (L.L.M.)

National President / Founder

World human rights council

Universal Declaration of Human Rights by the United Nations: -

Foreword:

On December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights was proclaimed and accepted by the General Assembly. Extraordinary insights and determination of its drafters gave a document that first set universal human rights in a personal context for all people. Now available in more than 360 languages, this announcement is the world's most translated document. This is a proof of the universal nature and reach. It has inspired many new independent nations and new democracies. It has become such a criterion through which we know what is wrong or right, we should know, we should know, it is our duty to ensure that this right becomes a living reality that all the people of all places will be easily Understand and can benefit from it. Those who are most concerned about the safety of their rights should also be told that this declaration has come into being and is for them. The 71st anniversary of accepting this announcement will be seen in the vision of this declaration for all of us. There is an opportunity to be re-dedicated. It is still as relevant as it was on the day of its acceptance. I hope you will make it a part of your life.

Ban-ki-moon

General Secretary

Introduction:

It is difficult to imagine today that the universal declaration of human rights must have been a symbol of fundamental change when it was adopted 60 years ago. A declaration confronting universal and dutiful love before equality in the broken world that is inherent in the broken and scattered world with panic and inequalities from the demolition of the demolition after the war, and a manifestation of a bold and bold commitment It was, whose success was not sure. It has become a major framework for the protection of all the fundamental freedoms of which we are official. The same fact is a tribute to the philosopher's manifestation of the declaration and also to all those human rights defenders who have struggled to make this philosophy a reality for more than six decades. This struggle will go far and it also has the power to declare. It is a living document that will inspire generations to come.

Louis Arbor,

High Commissioner for Human Rights

Universal Declaration of Human Rights:

On December 10, 1948, the General Assembly of the United Nations approved and declared the universal declaration of human rights. Only after the historical work, the assembly appealed to all the member countries, they propagate this declaration, and without considering the discrimination based on the political situation of the countries or territories, especially in schools and other educational institutions, its publicity, performance and reading Arrange interpretation. The governmental text of this announcement is available in these five languages of the respective nations, English, Chinese, French, R Spanish and Spanish The text of the translation given here is approved by the Government of India.

Introduction:-

Since the acceptance of the birth status and uninterrupted authority of all the members of the human family is the foundation of world peace, justice and freedom. Because of the disregard and hatred of human rights, such barbaric acts resulted in man's intolerance being oppressed, because the establishment of such a world order in which people will get freedom from expression and freedom of religion and fear and lack, the highest aspiration for the masses Has been declared. Since it is compulsory for the people to fight against injustice and oppression, it is compulsory to protect human rights by the rule of law. Because it is necessary to increase friendship relations among the nations, because in the basic human rights of the members of the member countries of the member countries, the reputation of the human personality and their faith in equal rights as male and female has been repeated in the charter and it was decided. That is to increase the social progress and better level of living for greater widespread independence. Because the member countries have pledged that they will increase universal respect for human rights and fundamental freedoms in collaboration with the well-organized nation. Because to fully understand the plurality of these rights and freedoms, More important, therefore, now the General Assembly declares that this universal proclamation of human rights is shared by all the countries and all the people. It is believed that with the aim of every person and every part of society, keeping this declaration in persistent view, efforts will be made by education and education that the spirit of respect for these rights and freedoms will be promotes and progressively such national and international remedies should be made from which members The people of the countries, the people of the territories authorized by them, the universal rights of these rights Rbavotpadk approval provided Safety and reared.

Article1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

1. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense.

2. No one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15

1. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16

1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. 2. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22 Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment.

2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

3. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24 Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.

3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

United Nations Information Center,
55 Lodhi Estate,

New Delhi-110003.

Why Join the World Human Rights Council?

1. Our selfless work for people's help.
2. To be aware of their rights and to make common people aware about them.
3. Working to increase human smitha, to contribute to world-building.
4. Raise voice against chaos, chaos, exploitation, chaos, corruption, communalism, racism.
5. To be aware of the general public to make acquaintance and relationships with more and more people.
6. Working to increase respect and confidence.
7. Working to support the governance administration in strengthening the law and order.
8. Take further steps to increase the greater compassion in the society and to improve the society.

Our Aim:

1. Consolidate and alert the citizens of the country.
2. To make citizens aware of their rights and protect their dignity.
3. Make citizens citizens of educational, socially powerful.
4. Make citizens aware of all constitutional rights of citizens.
5. To cooperate with governance, administration and police to cooperate with them in preventing corruption and crimes and to bring justice to the victims.

6. Develop social ethical, character and intellectual, spiritual development and development of hate and ideological harmony among the masses.
7. Attempt for social justice and economic uplift in the Indian Constitution.
8. Attempts to remove them with the help of government-semi-governmental organizations for the prevention of present-day problems like corruption, terrorism, women's violence, child labor, exploitation, disorder etc.
9. To publish publicity of publications and to organize seminars and seminars from time to time to make public aware of human rights and propagate human rights protection.
10. Try to stop crime and exploitation by establishing cooperation with the administration.
11. Publicity of the Human Rights Protection Act-1993, passed by the Government of India, to propagate among the masses so that the common man can get the benefit of it.
12. The National Human Rights Council will be formed by forming a team at National, Zone-North, East, West, South, State, Mandal, District, Tehsil, Block, city level and thus will be the executive of all the members (Minority cell, legal Cell, Women Cell, Youth Cells, Information R.T.ICell, OBC cell, and S.C/ S.TCell etc.)

What does human rights say?

The World Human Rights Council is the main objective that never treat others with others who do not like to be with you. Know your rights and make others aware. Play a leading role for the protection of human rights. Start the human rights and legal aid center by joining the World Human Rights Council and become a strong voice against exploitation, inequality and oppression. Remember that the violation of human rights not only blocks the development of a particular person but the entire family, society and nation. The United Nations has taken significant initiatives towards the protection of human rights throughout the world. The charter declared in this regard is supported by almost all the countries of the world. Even in India, the National Human Rights Commission has played an important role in this matter, but any attempt to protect human rights in the absence of public awareness is dishonest. World Human Rights Council various government departments, bodies, lawmakers, academicians, educated citizens and common people It is important to work in this direction by establishing a common sense

and by cooperating with them. If you are aware of human rights and also enthusiasts, then we just wait for you.

Major cases of human rights abuses:

Women's oppression, dowry, dowry murder, second marriage, labor exploitation, child labor, communal violence, harassment of prisoners, false cases, illegal acts, failure of police work, starvation, filing of FIR, dishonesty in contract, rape, without Removal of information from the job, bogus encounter, wages and not paying money.

Steps are taken by the World Human Rights Council on getting information of such or such a case. Along with bringing the matter in the light of the concerned government officials, departments and bodies, judicial treatment and compensation to the victim or the victim is also the highest in our priority.

Public interest litigation against government or government departments / officials

The general public has the right to lack facilities such as power supply, water supply, transport system, railway, bad roads, corruption in government offices, medical facilities, education facilities, negligence by government officials-departments, death in police custody, prisoners Security, imprisonment for imprisonment, police torture, tyranny against Scheduled Castes, violation of minimum wage law, su No rights, any citizen entitled to judicial remedies in respect of the law, MGNREGA, pollution, negligence in the implementation of welfare schemes, abuses of fundamental rights, etc. ragging. It is also possible in the form of public interest petitions (free and paid) in the High Courts and the Supreme Courts.

Acceptance: Human Rights of All

Proceeded. Know your rights and make the public aware.

Override the Central and State Government Guidelines.

Every day around us there are incidents of incidents which are an open violation of the guidelines of the Central and State Government, but people remain silent due to lack of awareness and information. The information of many beneficial and welfare schemes of the government is not available to the common people even though many of them living below the poverty line are specially prepared and implemented for the victims, the underprivileged, the Harijans, the minority people and the Scheduled Castes. Have a gone.

Examples :-

1. People living below the poverty line, take loan on 33% subsidy from the rural bank for the livestock of cow buffalo goat etc.
2. Get farmer loan with 50 to 80 percent grant for flower cultivation and cultivation of gardening in the fields.
3. Grant of 50% for the cultivation of bee keeping, fish farming.
4. Under the Chief Minister Kanyadan scheme, assistance of Rs. 5000
5. Incentive assistance of Rs. 25000 thousand rupees for financial assistance to the marriage.

RAIN AND GO scheme of 6.M.V.ACT under compensation of unidentified vehicle under section 161, compensation of Rs. 25000.

7. Due to the dry weather, earthquake, fire, flood, snowfall, cloudburst, pest attack, thunderbolt, innocent killing, drowning in water, in addition, electric accidents, auto accident, building accident, communal violence, negligence in medical, Physical and mental torture, such situations include victims / victims and parties, judicial remedies and compensation / compensation for violence, electoral violence, organism, and insects. Death Atne, is the wrong question and apply it in the event of a late test.

Scheduled Castes / Tribes Harassment & Treatment

Inadequate or disgusting substance to be harmful, degrading, disrespectful, disrespectful work, illegal occupation, deprivation of rape, freedom from voting, false testimony in false pretentious and harassing cases, harassment in the hands of government machinery, Physical and mental disabilities, assassination, death, massacre, mass rape, burning of house, Government on matters like District Kalyan Through Officer ensure compensation to victims of Rs 25,000 to Rs 2 lakh. Indira Housing is available when the house of Scheduled Caste / tribe is burnt. The World Human Rights Council has taken effective steps in the entire country by taking cognizance of the cases, whose direct benefit has been received by the victim's party. If you have any kind of judicial assistance or any If you need type assistance, you are welcome. Along with this, you can get the information of many decisions of legal judicial Supreme Court and High Courts from here who become a landmark in their area. It is possible that any of them should be extremely important in your context. Also, if you have reverence for human rights and you want to be aware and not just give direction to society, but also want to give a new height to your career. Come Educationists, intellectuals and advocates also contact in this regard.

Released by World Human Rights Council Public Relations Cell

Know your rights and make more public awareness.

One has the right, the duty of another.

Our Demands: -

1. Human rights from the level of secondary education should be included in the curriculum as a separate subject.
2. A comprehensive awareness campaign should be launched to introduce all the people to their legal rights.
3. Like the National Old Age Pension, not only effective schemes should be made to give pension to widows and abandoned women, but they should also be implemented properly.
4. Ensuring proper medical care of the poor in private and private hospitals.
5. To provide education to poor children in registered private schools, they should be given place.
6. Women's hardships, dowry etc. are strictly in line with strict action.

Unemployment and poverty,

There are a number of crimes in the root of the present.

According to your strengths, remove the poverty of the people.

Remove your poverty.

Give yourself employment ... give jobs to people.

This is the right and right step.

Accepting: Human Rights of All

Welcome to the World Human Rights Council: -

You will be happy to know that the team of World Human Rights Council will consistently perform important functions related to the society in which the key is.

1. Initiate social evils and raise voices against them and protect the victims from evil.
2. Delivering from the tyranny of child and bondage wages.
3. Working for the protection of children, women and the elderly.
4. Respect the persons contributing to the society from time to time and honoring them.
5. Organizing various activities in collaboration with people of every class of society.
6. Creating a bridge of cooperation between the police and the police and giving justice to the victims.
7. To stop every possible ban on brain assault and raise awareness against them.
8. To give justice to the weaker sections of the society in society.
9. Equal education, free health check camping and providing medicines for all the poor children of society, for the elderly and disabled persons.
10. The World Human Rights Council is appealing to every person of the society that let us all be part of social service together and help society to make the crime free.

11. Team of World Human Rights Council organization is open to service to the general public at all times with selfless service and will work with the support of the common people.

12. Every possible effort of the World Human Rights Council will be that it is human rights that every section can live happily with peace and dignity, free from fear and hunger in society.

An Introduction to World Human Rights Council: -

The World Human Rights Council is a social trust registered under the Indian Trust Act 1882. This is a non-governmental, non-national national organization. Our task is to make people aware of the society and to the administration of the public, by highlighting the corruption of the masses and the corruption of the people and the spread of society is the main objective. Because the incidents of human rights are increasing not only in our India year but in the whole world, incidents like human oppression, women's oppression, sexual abuse and child labor are prominent. The prisoners in prison are pathetic and anxious. Problems like corruption, communalism, racism, and linguistic are going on in the country day by day. Even after 71 years of independence, most of the Indians still enjoy better education, food, health, housing, pure drinking water, justice, equality And lack of basic amenities like development. In our Constitution, there has been no discrimination of caste, religion, descent, gender, richness, poverty, educated-illiterate. . In the constitution, every person in the country has a sense of right to physical and natural freedom as well as to have a dignified life. In order to bring it practically, the constitution has provided for the legislature, judiciary and executive. On this basis, the constitution of our country is considered to be the best constitution of the world. But the irony is that the common man can not get the benefit of it. The biggest question is whether every citizen of India has got social, economic and political justice? In villages, there is no cleaning in the ration shop, the goods do not get right in the ration shop, the government offices do not work without facilities, hospitals do not get the medicines, the doctor nurse does not pay attention to the patients, the roads are broken, the village level From the officials of the politicians, legislators do not pay attention to the minister, the electricity does not get well in the villages and backward areas. Our organization is trying to solve all these problems and organization has been formed to fulfill these objectives. Our task is to make people aware. We do not operate any government schemes. We have not authorized any person to collect money from the organization because the organization does not take any kind of money. The organization operates its activities in collaboration with its members. If you are sending your work to someone through our office then be aware that the person is your trustee. For any kind of information, contact the organization's officials who will help you with your selfless self, so that we can reach your voice through governance-administration from national level to national international level that is.

Human rights and non-governmental organizations: -

Non-governmental organization It is said to such organizations that those who are formed without religious, social, scientific, cultural, public welfare, technical or economic purposes are without profit. There is no inter-governmental agreement in these organizations nor do they directly interact with the government. A proposal was adopted by the United Nations Economic and Social Council on February 28, 1950, which defined that non-governmental organization, means any international organization that is not established by the inter-governmental agreement. In the broadest sense, this term can be used for any non-profit organization which is independent of the government. Examples of such organizations are International Chamber of Commerce, Inter-Parliamentary Union Federation of Trade Unions and Women's International Democratic Confederation. NGOs can either be national or international. Membership of individual organizations established at the national level is at the national level and they define their objectives in their constitution. International non-governmental organizations are at international level and their activities are edited internationally. They are deemed to be like the people's interest group, which means that their methodology does not mean that they will work for the benefit of their members, but they will do the work of public interest.

Human rights and non-governmental organizations: -

Non-governmental organizations are established in almost all states. It was calculated in 1994 that the number of non-governmental organizations in the United Kingdom was 275,000 and their estimated number in the poorer countries is 20000. Since then, their numbers are increasing rapidly. It was estimated that in 1999, there were 2 million in the world. Only in India it was estimated that their number is 10 lakhs which is almost half of the total number of non-governmental organizations in the whole world. Most non-governmental organizations have been set up for the accretion and protection of human rights. Their activities and membership are mainly within the scope of one state but some organizations related to human rights have been organized at international level and their membership is also at international level. Such are examples of groups Amnesty International London Anti Slavery Society London International Commission of Jurists Geneva, International League for Human Rights America, International Pen and French League for the Defense of the Rights of Man and of the Citizen Paris, not only the United Nations Organization of International Non-Governmental Organizations With special advisory level, there is a relation, but their direct access to the human body of the United Nations Limousine Commission, the minority protection and anti-discrimination Sub-Commission, International Labor Organization and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is to UNESCO.

Human Rights in India: -

India is the only nation that has always been a priest of peace and peace and has been an active member of the United Nations. On this basis, the Constitution of India mentions all the ideas, ideals, values, standards and terminology, whose organizations are human rights U.N. Charter is in. Part 3 of our Constitution declares the original right of Article 12 and Part 4 of the Constitution. 36-51 State Policy Director describes elements. But 46 years after independence in India, the attention of public representatives and their advisors administrative officers did not

go to common issues like making human conservation laws. In the year 1993, the Human Rights Protection Act was passed with the effort of Honorable Supreme Court. In order to protect human rights and to raise awareness about them, the National Human Rights Commission was constituted in September 1993 by an ordinance of the President of our Republic of India. A year after this, an Act was passed in the year 1994 to establish a Human Rights Commission in the states. This Commission examines cases of violations and violations of human rights by themselves or by anyone. The State Human Rights Commission is working in Uttar Pradesh. Their formation has not been completed in some states of the country. The headquarters of the National Human Rights Commission is in New Delhi. On this post, A retired judge of the Supreme Court has been appointed and there are other members. Human rights are done only by human beings, whether the person is dubbed or the government public servant It does not make sense to the department or chair. Regardless of how highly or powerful the oppressor is, the oppressor is like a simple accused on his status in the family and he personally has to go through court proceedings. At that time it is realized human harassment.

Rules and Bye Laws for Members: -

1. All activists and office bearers of the World Human Rights Council will work as volunteers in the organization, for which no amount is payable.
2. The membership is non-transferable. The membership fee will not be returned in any situation.
3. It is compulsory to submit the identity card to the head office after the expiry of validity. Upon expiry of validity, the renewal of the identity card is mandatory to continue the membership.
4. It is mandatory for all members to meet their respective officials at their respective headquarters once in a month.
5. On working against the policy of the organization, the concerned officer of the organization can be suspended from the membership.
6. Any doubts can contact the World Human Rights Council's Office for question or information.
7. To effectively implement the declared objectives of the World Human Rights Council, it is essential that the National, along with the State, the Mandal, and district level should be made mandatory at the village level, so that no human being in the society can Do not be deprived of receiving information.

Rules for Membership: -

1. I voluntarily accept all the rules of the World Human Rights Council, which protect the civil, religious, social, cultural and constitutional rights of individuals.

2. I will oppose all those powers which harass any person by unlawful manner.

3. After taking membership of the World Human Rights Council, I will do all the work for the fulfillment of all the objectives and protection of human rights.

4. I will take full responsibility for transparency in my work and responsibility for the World Human Rights Council.

5. I will pay attention to the undesirable, anti-social and criminal cases of the society.

6. I will participate in the functions and meetings of the World Human Rights Council and will accept the agreed-upon functions of the constitution to fulfill the given workload and objectives.

7. I will not take any action against the objectives of the World Human Rights Council. If I am found to ignore the objectives, then my membership should be terminated immediately without giving any information.

8. By subscribing to the World Human Rights Council, I also want to be included in the list of those fortunate people who have the distinction of being a member of your respected World Human Rights Council.

विश्व मानवाधिकार परिषद का विधान नियम विनियम एवं सामान्य जानकारियाँ

(1) विश्व मानवाधिकार परिषद् :-

विश्व मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक संगठन है । जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि यह संगठन मानवाधिकार के प्रचार-प्रसार एवं मानवाधिकार हनन मामले की रोक-थाम के लिये सरकार की मदद से आम जनता की जनसमस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुँचाने के उद्देश्यों को पुरा करने के लिए बनाया गया है। परिषद् का मूल उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करना है। जिससे आम जनता को अपने अधिकार पता हों सके और जब आम जनता को अपने अधिकार और सामाजिक न्याय के बारे में पता होगा तो देश की आम जनता सुखमय की जिंदगी जी सकेगी ,और समाज में खुशहाली जैसा माहौल बना रहेगा ।जिससे कोई भी व्यक्ति छोटी-छोटी बातों के लिए चौकी - थाना व न्यायालय की शरण में नहीं जायेंगे और राष्ट्रीय एकता एवं भाई चारे की मिसाल कायम करेंगे । जिससे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानवता का संदेश देगे जिससे भारत देश का नाम रोशन हो। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक हित में कार्य करके राष्ट्रीय एकता स्थापित करना हमारा परम उद्देश्य है। इस परिषद् में समाज के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए कई अलग-अलग प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया है। सभी प्रकोष्ठ मुख्य परिषद् के समान ही परिषद् के विधान से पोषित एवं शक्ति प्राप्त हैं। संस्थापक सदस्यों जिनमें मुख्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष/संस्थापक राष्ट्रीय संयोजक/संरक्षक (जिनका चुनाव नहीं होगा), इसके अलावा सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 01 वर्ष का रखा गया है, जिसको समय एवं परिस्थितियों को देखकर घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। यह परिषद् सेवा-भाव से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस परिषद् में किसी को भी अन्य प्रभाव से नामांकन नहीं दिया जाता, यदि ऐसा करता हुआ कोई भी पदाधिकारी पाया जाता है जिसकी सुचना प्राप्त होते ही उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।

(2) लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

विश्व मानवाधिकार परिषद् भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा एवं विश्वास रखता है। आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदर टेरेसा, पूर्व न्यायाधीश स्व० पी०एन० भगवती के आदर्शों से प्रेरणा लेकर विश्व मानवाधिकार परिषद् मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार जैसे समस्त अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, लोकतंत्र, धर्मनिर्पेक्षता और समाजवाद में आस्था रखता है ।एवं विश्व मानवाधिकार परिषद् का विश्वास ऐसी राज व्यवस्था में है जिसमें आम जनता जागरूक हो, शिक्षा का प्रचार-प्रसार, अमन-चैन और अपने अधिकारों के साथ सुखमय जीवन यापन कर सकें। परिषद् शांतिमय तथा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है। इसमें सत्याग्रह

तथा शांतिपूर्ण विरोध शामिल है। विश्व मानवाधिकार परिषद् विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा बनाये रखेगा तथा सन्निहित मानव अधिकार, समाजवाद, धर्म निर्पेक्षता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध रखेगी। विश्व मानवाधिकार परिषद् भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्य बनाये रखेगा।

(3) क्या विश्व मानवाधिकार परिषद् पंजीकृत संगठन है ?

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अर्न्तगत रजिस्टर्ड संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 16/2015 है, एवं भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी यूनिक आईडी UP2018/0199150 है एवं उद्योग आधार द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर UAM NO UP50D0015583 ISO 9001: 2015 सर्टिफाइड संगठन है।

विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन का उद्देश्य है कि न भ्रष्टाचार करेगे न भ्रष्टाचार सहेंगे एक नई मिसाल कायम करेगे क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाना है नया भारत बनाना है। संगठन के पदाधिकारी किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेगे, विश्व मानवाधिकार परिषद् व उसके समस्त प्रकोष्ठ/परिषद् के अंग है।

(4) सदस्य कैसे बनें :

विश्व मानवाधिकार परिषद् से जुड़ने वाले प्रत्येक सदस्य को कम्पलीट आवेदन फॉर्म भरने के साथ साथ रु0 150/- सदस्यता शुल्क देकर संगठन का प्रारंभिक सदस्य बन सकता है परन्तु प्रत्येक प्रारंभिक सदस्य को रु0 10/- प्रतिमाह मासिक शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। राशि को सीधे संगठन (विश्व मानवाधिकार परिषद्) के बैंक खाते में जमा कराने का प्राविधान है, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की निगरानी में केन्द्रीय कमेटी कार्यालय संचालन, अनुसंधान, मानव अधिकार जागरूकता अभियान, मानवाधिकार शिक्षा, निःशुल्क कानूनी सलाह, लेखन सामग्री तथा सभा आयोजन व अधिकारों की प्राप्ति के लिए होने वाले शांतिपूर्ण धरने-प्रदर्शन आंदोलनों आदि में खर्च करेगी है।

(5) सहयोग राशि व शुल्क का विभाजन प्रति कार्यकारिणी सदस्यवार प्राप्त शुल्क की धनराशि रु0 10/- प्रतिमाह को रु0 02/- स्थानीय कमेटी, रु0 02/- जिला कमेटी में, रु0 02/- प्रदेश कमेटी में तथा रु0 04/- (शेष राशि) केन्द्र कमेटी/राष्ट्रीय कमेटी में विभाजित किया गया है।

(6) अन्य शुल्क परिषद् का परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु कम्पलीट आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त परिचय पत्र जारी किया जाता है, जो एक वर्ष के लिए वैध होता है। (इसका शुल्क रु0 150/- है)

नोट :- यह शुल्क सिर्फ प्रारम्भिक सदस्यों के लिए ही है।

(7)दान एवं सहयोग राशि प्राप्त करना। परिषद् का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी परिषद् के विकास के लिये यदि कोई दानी सज्जन अपना योगदान देना चाहते हों तो वे विश्व मानवाधिकार परिषद् के सम्बन्धित खाते में धनराशि जमा करके जमापत्री की फोटो प्रति मुख्य कार्यालय भेजकर पावती रसीद मँगा सकते हैं। यह राशि समाज हित में उपयोग की जायेगी और जिसका सम्पूर्ण ब्यौरा आवश्यकता पड़ने पर कोर कमेटी के समक्ष सार्वजनिक किया जायेगा।

(8)परिषद् की कार्यकारिणी सम्पूर्ण भारतवर्ष में परिषद् के द्वारा मानव अधिकार का प्रचार-प्रसार और समाज सेवा हो सके एवं जरूरतमंदों को सामाजिक, प्रशासनिक एवं सरकारी लाभ मिल सके जिसके लिये परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठों का भी गठन किया जायेगा जो निम्न प्रकार है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस प्रकार है :-

01.राष्ट्रीय अध्यक्ष :- संस्थापक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति।

02. राष्ट्रीय संयोजक एक पोस्ट

03. राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक एक पोस्ट।

04. राष्ट्रीय संरक्षक चार पोस्ट

05. राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।

06. राष्ट्रीय सलाहकार चार पोस्ट ।

07. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।

08. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।

09. राष्ट्रीय सचिव आठ पोस्ट ।

10. राष्ट्रिय महासचिव प्रमुख एक पोस्ट ।
11. राष्ट्रिय महासचिव चार पोस्ट ।
12. राष्ट्रिय संगठन सचिव चार पोस्ट ।
13. राष्ट्रिय पी0आर0ओ0 एक पोस्ट ।
14. राष्ट्रिय विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
15. राष्ट्रिय मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
16. राष्ट्रिय प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. राष्ट्रिय कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
18. राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्यगण आवश्यकतानुसार ।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार ।

जोनल कार्यकारिणी:-

- 01.जोनल अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति ।
02. जोनल संयोजक एक पोस्ट ।

03. जौनल मुख्य संरक्षक ँक पोस्ट ।
04. जौनल संरक्षक चार पोस्ट ।
05. जौनल मुख्य सलाहकार ँक पोस्ट ।
06. जौनल सलाहकार चार पोस्ट ।
07. जौनल वरिष्ठ उपाध्यक्ष ँक पोस्ट ।
08. जौनल उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।
09. जौनल सचिव आठ पोस्ट ।
10. जौनल महासचिव प्रमुख ँक पोस्ट ।
11. जौनल महासचिव चार पोस्ट ।
12. जौनल संगठन सचिव चार पोस्ट ।
13. जौनल पी0आर0ओ0 ँक पोस्ट ।
14. जौनल विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
15. जौनल मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
16. जौनल प्रवक्ता चार पोस्ट ।

17. जोनल कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
18. जोनल कार्यकारिणी सदस्यगण आवश्यकतानुसार ।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार ।

प्रदेश कार्यकारिणी :-

- 01.प्रदेश अध्यक्ष :- संस्थापक अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति ।
02. प्रदेश संयोजक एक पोस्ट ।
03. प्रदेश मुख्य संरक्षक एक पोस्ट ।
04. प्रदेश संरक्षक चार पोस्ट ।
05. प्रदेश मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
06. प्रदेश सलाहकार चार पोस्ट ।
07. प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।
08. प्रदेश उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।
09. प्रदेश सचिव आठ पोस्ट ।

10. प्रदेश महासचिव प्रमुख एक पोस्ट ।
11. प्रदेश महासचिव चार पोस्ट ।
12. प्रदेश संगठन सचिव चार पोस्ट ।
13. प्रदेश पी0आर0ओ0 एक पोस्ट ।
14. प्रदेश विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
15. प्रदेश मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
16. प्रदेश प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. प्रदेश कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
18. प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यगण आवश्यकतानुसार ।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार ।

मण्डल कार्यकारिणी :-

01. मण्डल अध्यक्ष एक पोस्ट ।
02. मण्डल संयोजक एक पोस्ट ।
03. मण्डल मुख्य संरक्षक एक पोस्ट ।

04. मण्डल संरक्षक चार पोस्ट ।
05. मण्डल मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
06. मण्डल सलाहकार चार पोस्ट ।
07. मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।
08. मण्डल उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।
09. मण्डल सचिव आठ पोस्ट ।
10. मण्डल महासचिव प्रमुख एक पोस्ट ।
11. मण्डल महासचिव चार पोस्ट ।
12. मण्डल संगठन सचिव चार पोस्ट ।
13. मण्डल पी0आर0ओ0 एक पोस्ट
14. मण्डल विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
15. मण्डल मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
16. मण्डल प्रवक्ता चार पोस्ट ।

17. मण्डल कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
18. मण्डल कार्यकारिणी सदस्यगण आवश्यकतानुसार ।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार ।

जिला कार्यकारिणी :-

01. जिला अध्यक्ष एक पोस्ट ।
02. जिला संयोजक एक पोस्ट ।
03. जिला मुख्य संरक्षक एक पोस्ट ।
04. जिला संरक्षक दो पोस्ट ।
05. जिला मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
06. जिला सलाहकार दो पोस्ट ।
07. जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।
08. जिला उपाध्यक्ष तीन पोस्ट ।
09. जिला सचिव चार पोस्ट ।
10. जिला महासचिव प्रमुख एक पोस्ट ।

11. जिला महासचिव दो पोस्ट ।
12. जिला संगठन सचिव दो पोस्ट ।
13. जिला पी0आर0ओ0 एक पोस्ट ।
14. जिला विधि सलाहकार दो पोस्ट ।
15. जिला मीडिया प्रभारी दो पोस्ट ।
16. जिला प्रवक्ता दो पोस्ट ।
17. जिला कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
18. जिला कार्यकारिणी सदस्यगण आवश्यकतानुसार ।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार ।

तहसील / ब्लॉक / नगर धकार्यकारिणी :-

01. तहसील अध्यक्ष एक पोस्ट ।
02. तहसील संयोजक एक पोस्ट
03. तहसील मुख्य संरक्षक 0 ।

04. तहसील संरक्षक दो पोस्ट
05. तहसील मुख्य सलाहकार 0 ।
06. तहसील सलाहकार दो पोस्ट ।
07. तहसील वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक पोस्ट ।
08. तहसील उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
09. तहसील सचिव दो पोस्ट ।
10. तहसील महासचिव प्रमुख 0 ।
11. तहसील महासचिव दो पोस्ट ।
12. तहसील संगठन सचिव दो पोस्ट ।
13. तहसील पी0आर0ओ0 एक पोस्ट ।
14. तहसील विधि सलाहकार दो पोस्ट ।
15. तहसील मीडिया प्रभारी दो पोस्ट ।
16. तहसील प्रवक्ता दो पोस्ट ।
17. तहसील कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।

18. तहसील कार्यकारिणी सदस्यगण आवश्यकतानुसार।

19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार।

विश्व मानवाधिकार परिषद् के निम्न प्रकोष्ठों का गठन।

1.अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ।

2.महिला प्रकोष्ठ।

3.विधि प्रकोष्ठ।

4.यूथ प्रकोष्ठ।

5. सुचना प्रकोष्ठ आर0टी0आई0।

6. पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ।

7. एस0सी0धर0टी0 प्रकोष्ठ।

नोट :- उपरोक्त सभी प्रकोष्ठों एवं सभी जोन, प्रदेश के पदाधिकारियों कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अनुरूप रहेगी इसके अलावा मण्डल, जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर, के पदाधिकारियों का चयन आवश्यकतानुसार किया जायेगा। विश्व मानवाधिकार परिषद् में प्रत्येक प्रकोष्ठ का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा जो सीधे मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करेगा। उपरोक्त वर्णित जोनल अध्यक्ष अपने-अपने जोन के अन्तर्गत आने वाले राज्यों का कार्य देखेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य अपनी संगठनात्मक गतिविधियों की सीधी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष को करेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी

एवं प्रदेशाध्यक्ष अपने राज्य की सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों की सीधी रिपोर्टिंग अपने जोनल अध्यक्ष को करेंगे। कुछ खास विषयों में परिषद् का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उनको सीधी रिपोर्टिंग कर सकता है। यह नियम मुख्य परिषद् एवं उसके प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए अलग से लागू होगा ताकि विश्व मानवाधिकार परिषद् पूरी बारीकी से अपनी समाज सेवा सुचारु रूप से कर सके।

विश्व मानवाधिकार परिषद् में आपका स्वागत है :-

विश्व मानवाधिकार परिषद् एक सामाजिक ट्रस्ट है जिसका पंजीकरण भारतीय न्याय अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एक गैर-सरकारी, गैर-राजनैतिक राष्ट्रीय संगठन है। हमारा कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना है और उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाना। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को ही सिर्फ नया सदस्य बनाने/नवीनीकरण/निरस्त करने का अधिकार है। किसी भी पोस्ट/पद/या मेम्बर के लिए किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी/जोनल पदाधिकारी/प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश पदाधिकारी/मण्डल अध्यक्ष/पदाधिकारी/जिला, नगर, तहसील ब्लॉक, अध्यक्ष या पदाधिकारी आपको मनोनय पत्र या आईडी0 कार्ड देते हैं तो पत्र/आईडी0 कार्ड लेने वाले मेम्बर इन नम्बर पर अपने पत्र और आईडी0 संख्या सूचित करें या व्हाट्सएप करें, 09454110126, 09794100006, 8802752786, 9914776666 या मेल करें जिससे सदस्य के पत्र और पहचान पत्र को सत्यापित किया जा सके। जिससे कोई कार्ड लेटर फर्जी न जारी कर सके और पूरी बारीकी से नजर रखी जा सके।

नोट:-जिनका नाम परिषद् की वेबसाइट पर है सिर्फ वह ही हमारे पदाधिकारी/मेम्बर्स हैं। (विश्व मानवाधिकार परिषद् से सम्बद्ध संगठन एवं समाचार पत्र, अंतर्राष्ट्रीय मानव सुरक्षा एवं न्याय परिषद्, विश्व मुस्लिम बोर्ड, ऑल इण्डिया प्रेस परिषद्, भारतीय मतदाता जागरूकता संघ, ऑल इण्डिया मुस्लिम कान्फ्रेंस भारतीय मान्यता प्राप्त पत्रकार परिषद्, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, मीडिया टाइम्स, लखनऊ, स्वतंत्र स्वरूप। विश्व मानवाधिकार परिषद् परिवार परिषद् के उद्देश्यों के सफल निर्वहन के साथ पाँचवाँ स्थापना दिवस 02.02.2019 को मनाएगी। यह परिषद् का पाँचवाँ स्थापना दिवस वर्ष होगा। समस्त देशवासियों को स्थापना दिवस, विश्व मानवाधिकार परिषद् सभी धर्मों का सम्मान करता कोई ऊँच नीच भेदभाव नहीं करता सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था रखने का अधिकार प्राप्त है इसलिए धर्म के लोगों को होली, ईद, बकरीद, दीपावली, छठ के अलावा सभी राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि सभी पर्व को शान्ति और भाईचारे के साथ मनाएँ और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें।

सदस्यता शुल्क /सहयोग एवं दान राशि जमा करना।

किसी प्रकार का लेनदेन या सदस्यता शुल्क सिर्फ विश्व मानवाधिकार परिषद् के एकाउण्ट में ही जमा करें। किसी भी प्रकार के कॅश लेनदेन पर परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा। कॅशलेस बनेगा इण्डिया तभी तो आगे बढ़ेगा इण्डिया। अधिकर जानकारी के लिए सम्पर्क करें :- 09454110126 , 09794100006।

विश्व मानवाधिकार परिषद् :-

विश्व मानवाधिकार सामाजिक विकास के लिए वृद्धों के लिये वृद्धाश्रम/धर्मशाला/गरीब बच्चों के लिये स्कूल बनाना चाहता है, जिससे समाज के उन लोगों लोगों की भलाई हो सके जो गरीब व असहाय लोगो की श्रेणी में आते हैं। सहयोग कर्ता इस पुनीत कार्य के कार्य के लिए जमीन अथवा निर्माण सामग्री या तन-मन-धन से वृद्धाश्रम/स्कूल/धर्मशाला के निर्माण में दान देकर इस कार्य में परिषद् की मदद करें। परिषद् समाज के लिए ऑक्सीजन सिलेण्डर, बेटी की शादी के लिए बर्तन, दरी, गद्दा, तकिया, चादर, साइकिल, या ऐसे सामान जो समाज के काम आए, निःशुल्क सेवा प्रारम्भ करेगी। जो भी इच्छुक इसमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, प्रधान कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं एवं उन्हें पावती रसीद भी दी जायेगी। परिषद् के सामाजिक कार्य में परिषद् का साथ दें और सेवा करने का आनन्द प्राप्त करें। सहयोग कर्ता एवं दानदाता के नाम को दाता बोर्ड में अंकित किया जायेगा। दान ऑन-लाइन, ट्रान्सफर, चेक, ड्राफ्ट सिर्फ विश्व मानवाधिकार परिषद् के नाम से ही स्वीकार्य होगा। अधिकर जानकारी के लिए सम्पर्क करें :- 09454110126 09794100006, 8802752786,9914776666

ई-मेल आईडी0 :- - vmpgov.np@gmail.com, vmpgov.786@gmail.com.

प्रत्येक कार्यकारिणी की जवाबदेही निम्न प्रकार से होगी :-

राष्ट्रीयधकेन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी , जोनल स्तर जोनल अध्यक्ष एवं उनकी जोनल कार्यकारिणी , प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं उनकी प्रदेश कार्यकारिणी ,मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी, जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी, इसके अलावा प्रत्येक तहसील ध्वल्लोक एवं शहर स्तर पर अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।इसी प्रकार का नियम सभी प्रकोष्ठों में भी लागू होगा।

(9)प्रत्येक स्तर की कमेटी या कार्यकारिणी में पदों का विभाजन इस प्रकार है :-

- 01.राष्ट्रीय अध्यक्ष :- संस्थापक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति।
02. राष्ट्रीय संयोजक एक पोस्ट।
03. राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक एक पोस्ट।
04. राष्ट्रीय संरक्षक चार पोस्ट।

05. राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार एक पोस्ट ।
06. राष्ट्रीय सलाहकार चार पोस्ट ।
07. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दो पोस्ट ।
08. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पाँच पोस्ट ।
09. राष्ट्रीय सचिव आठ पोस्ट ।
10. राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख एक पोस्ट ।
11. राष्ट्रीय महासचिव चार पोस्ट ।
12. राष्ट्रीय संगठन सचिव चार पोस्ट ।
13. राष्ट्रीय पी0आर0ओ0 एक पोस्ट ।
14. राष्ट्रीय विधि सलाहकार चार पोस्ट ।
15. राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चार पोस्ट ।
16. राष्ट्रीय प्रवक्ता चार पोस्ट ।
17. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एक पोस्ट ।
18. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यगण आवश्यकतानुसार ।
19. आजीवन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकतानुसार ।
- (10) विश्व मानवाधिकार परिषद् के अन्तर्गत वर्तमान में निम्न प्रकोष्ठ होंगे :—
 01. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ।
 02. महिला प्रकोष्ठ ।
 03. यूथ प्रकोष्ठ ।
 04. विधि प्रकोष्ठ ।
 05. सूचना प्रकोष्ठ आर0टी0आई0 ।
 06. पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ ।
 07. एस0सी0धएस0टी0 प्रकोष्ठ ।
- (11) परिषद् के महत्वपूर्ण नियम

विश्व मानवाधिकार परिषद् के किसी भी प्रोग्रामों में लगने वाले पोस्टर/बैनर/पलैक्स पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य उच्च पदाधिकारियों के फोटो सम्मानजनक स्थान पर लगाना अनिवार्य है, साथ ही परिषद् की वेबसाइट vmpgov.com, है।

01.विश्व मानवाधिकार परिषद् संगठन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये एवं आम जन की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाने एवं समाज को भय मुक्त, अपराध मुक्त बनाने के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार पदों एवं प्रकोष्ठों का गठन करना तथा समयानुसार परिस्थितियों को देखते आवश्यकतानुसार पदों एवं प्रकोष्ठों का विघटन किया जा सकता है या किन्हीं खास कारणों से प्रकोष्ठ या कार्यकारिणी बिना सूचना दिये भंग की जा सकती है। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है।

02.सामान्यतः विभिन्न स्तर के अध्यक्ष या सम्बन्धित पदाधिकारी के मनोनयन के बाद 30 से 45 दिन या अन्तिम 90 दिवस के भीतर उसे अपनी कार्यकारिणी गठित करने की सूची के साथ अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष को करनी है, यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका मनोनयन निरस्त समझा जायेगा तथा नये अध्यक्ष या सम्बन्धित पदाधिकारी का मनोनयन किया जा सकता है, किन्तु नया अध्यक्ष कार्यकारिणी गठन के लिए यदि चाहे तो सम्बन्धित पदाधिकारियों का मनोनयन किया जा सकता है। विभिन्न स्तरों के अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी जिनको कार्यकारिणी निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यदि उनके द्वारा नियत समय में कार्यकारिणी नहीं बनायी जाती है या सूचना नहीं दी जाती है तो उनके स्थान पर उन्हें बिना कोई सूचना दिये या प्रकाशित करवाये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

03.भारतवर्ष के ऐसे राज्य या स्थान जहाँ कार्यकारिणी गठित नहीं है, उनके लिये परिषद् के या बाहर से प्रभारी नियुक्त किये जाते हैं, जिनका कार्य उचित व्यक्ति का नाम अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना होगा।

04.आवश्यकतानुसार परिषद् में समय-समय पर विधान में संशोधन किया जा सकता है जिसके सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष/संस्थापक अध्यक्ष के पास सुरक्षित हैं।

05.परिषद् के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य आदि द्वारा यदि किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य भारत देश की किसी भी राष्ट्रीय धरोहर को क्षतिग्रत या नुकसान पहुँचाने का कार्य करते हैं या किसी भी अपराध के लिए, समाज में नफरत या अशान्ति का माहौल फैलाने वाला व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष या परिषद् के अन्य सदस्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं माने जायेंगे और ऐसा कोई भी

अपराध या कृत्य किया जाता है या सिद्ध होता है जिसकी सूचना मिलने या न मिलने पर भी उस व्यक्ति का परिषद् से स्वतः ही निष्कासन/पदमुक्त माना जायेगा।

06.किसी भी वर्तमान या पूर्व पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता, प्रारम्भिक /साधारण सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा परिषद् के लैटरपैड, सील, आई0डी0 कार्ड आदि का दुरुपयोग किया जाता है तथा परिषद् के सदस्यों के खिलाफ उन्हें बेवजह परेशान, प्रताड़ित, बदनाम, छवि खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, मौखिक-लिखित आदि किसी भी प्रकार से कोई क्रिया-कलाप करता है तो उसके खिलाफ समक्ष न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है तथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा और इस कानूनी कार्यवाही में आए खर्च को उसके द्वारा ही वहन किया जायेगा।

07.विश्व मानवाधिकार परिषद् में राष्ट्रीय अध्यक्ष (संस्थापक अध्यक्ष) का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा किसी भी स्तर के अध्यक्ष या किसी भी पद के पदाधिकारी को मनोनीत करने या हटाने का पूर्ण अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चाहें विशेष कार्यभार सौंप सकते हैं। किन्तु अपना कार्यकाल पूरा करने या इसी बीच कोई भी पदाधिकारी या सदस्य को गलत आचरण या किसी भी अपराण में लिप्त पाये जाने पर तत्काल पदमुक्त किया जा सकता है।

(12)विश्व मानवाधिकार परिषद् के नियम:-

01.संगठन का नाम :- विश्व मानवाधिकार परिषद् है।

02.सदस्यता की परिभाषा :- कोई भी भारतीय व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है जो परिषद् में निःस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता एवं साफ-सुथरी छवि का हो, भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय दण्डित न किया गया हो और साथ ही साथ किसी भी थाने में कोई अपराधिक मुकदमा पंजीकृत न हो, एवं किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य न हो, राष्ट्र के विकास के साथ-साथ मानव अधिकार शिक्षा, मानव के अधिकार का प्रचार-प्रसार और सामाजिक कार्य करने को इच्छुक हों तथा परिषद् की मूल भावना एवं विचारधारा तथा परिषद् के संविधान से एकरूप होकर निर्धारित कार्यक्षेत्र का पालन करने को तैयार हों सदस्यता प्रदान की जायेगी।

03.सदस्यता के लिए प्रवेश एवं योग्यता :-

कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। यह अध्यक्ष/प्रभारी के स्व-विवेक पर है परन्तु मूल संगठन एवं उसके प्रकोष्ठों के विषयों के अनुसार हो।

04.सदस्यता शुल्क :-

कोई भी व्यक्ति जो संगठन के नियमों के अनुसार सदस्यता शुल्क अदा करना अनिवार्य है

अ)साधारण सदस्यता शुल्क रु0 150/—

ब)जिला अध्यक्ष लिए रु0 525/ एवं अन्य जिला स्तर के पदाधिकारी रु 525 /जमा करेगे।

स)प्रदेश अध्यक्ष के लिए रु0 2100/एवं अन्य प्रदेश स्तर के पदाधिकारी रु0 1100/ जमा करेगे।

द)आजीवन सदस्यता शुल्क रु0 2100/रु देकर परिषद् के आजीवन सदस्य व 1100/रु देकर सक्रिय सदस्य बन जायेंगे।

नोट:—राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पदाधिकारी या सदस्य की सदस्यता रद्द या बहाल कर सकते हैं।

(13)किसी भी तरह के विवाद में न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

(14)विश्व मानवाधिकार परिषद् और सम्बद्ध संगठन/प्रकोष्ठ की कुछ महत्वपूर्ण एवं सामान्य जानकारी यहाँ प्रदर्शित की गई है। परिषद् के नियम के बिन्दु (1) से (14) तक जो यहाँ प्रदर्शित है, परिषद् और परिषद् से सम्बद्ध सभी संगठन/प्रकोष्ठ में लागू होंगी। परिषद् के पूर्ण नियम, उपनियम की जानकारी सदस्य और पदाधिकारी कार्य दिवस पर प्रधान कार्यालय में देख सकते हैं।

मानव अधिकार क्या है :

मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो आम आदमी के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग—तीन में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किये गए हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इसके अलावा ऐसे अधिकार जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकार किये गए हैं और देश के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, को मानव अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों में प्रदूषणमुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने सम्बन्धी अधिकार और महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है।

जाँच कार्य से सम्बन्धित प्राप्त अधिकार :—

अधिनियम के अन्तर्गत किसी शिकायत की जाँच करते समय आयोग की सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के समस्त अधिकार प्राप्त हैं।

विशेष रूप से सम्बन्धित पक्ष को तथा गवाहों को सम्मन जारी करके बुलाने तथा उन्हें आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य करने एवं शपथ देकर परीक्षण करने का अधिकार, किसी दस्तावेज का पता लगाने और उसको प्रस्तुत करने का आदेश देने का अधिकार, शपथ पर गवाही लेने का अधिकार और किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सरकारी अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि की मांग करने का अधिकार, गवाहियों अथवा दस्तावेजों की जाँच हेतु कमीशन जारी करने का अधिकार। आयोग में पुलिस अनुसंधान दल भी है, जिसके द्वारा प्रकरणों की जाँच की भी जाती है।

उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के कार्य :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :-

- 1.आयोग अपनी ओर से स्वयं अथवा पीड़ित द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करने पर कि, किसी शासकीय सेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसा करने के लिए उकसाया गया है अथवा उसने ऐसा हनन रोकने की उपेक्षा की है, तो ऐसी शिकायतों की जाँच करना।
- 2.किसी न्यायालय में विचाराधीन मानव अधिकारों के हनन के मामले में सम्बन्धित न्यायालय के अनुमोदन से ऐसे मामले की कार्यवाही में भाग लेना।
- 3.राज्य सरकार को सूचित करके, किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी ऐसे संस्थान का जहाँ लोगों को चिकित्सा सुधार अथवा सुरक्षा हेतु निरुद्ध अथवा ठहराया जाता है, वहाँ के निवासियों की आवासीय दशाओं का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उसके बारे में अपने सुझाव देना।
- 4.संविधान तथा अन्य किसी कानून द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदत्त रक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव देना।
- 5.आतंकवाद एवं ऐसे सारे क्रिया-कलापों की समीक्षा करना, जो मानव अधिकारों का उपभोग करने में बाधा डालते हैं तथा उनके निवारण के लिए उपाय सुझाना।
- 6.मानव अधिकारों से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य को अपने हाथ में लेना एवं उसे बढ़ावा देना।
- 7.समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करना तथा प्रकाशनों, संचार माध्यमों एवं संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी रक्षा उपायों के प्रति जागरूकता लाना।

8. मानव अधिकारों की रक्षा करने या करवाने के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों तथा संस्थानों को सहयोग प्रदान करना जिससे आम जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सके ।

शुभकामनाओं सहित

एम0 आर0 अंसारी (एल.एल.एम)

राष्ट्रीय अध्यक्ष / संस्थापक

विश्व मानवाधिकार परिषद्

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा:—

प्राक्कथन:

10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुयी और उसे महासभा ने स्वीकार किया। इसका मसौदा बनाने वालों की असाधारण अन्तर्दृष्टि और संकल्प ने एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसने पहली बार सभी लोगों के लिए एक वैयक्तिक संदर्भ में सार्वभौमिक मानवाधिकार निर्धारित किए। अब 360 से भी अधिक भाषाओं में उपलब्ध, यह घोषणा दुनिया का सर्वाधिक अनूदित दस्तावेज है। इसी सार्वभौमिक प्रकृति और पहुँच का यह एक प्रमाण है। इसने अनेकानेक नव-स्वतंत्र राष्ट्रों और नए लोकतंत्रों के संविधानों को प्रेरित किया है। यह एक ऐसा मापदण्ड बन चुका है जिसके जरिये हम जो गलत या सही हैं, उसे जानते हैं या हमें जानना चाहिए, उसका आंकलन करते हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि यह अधिकार ऐसी जीवन्त वास्तविकता बने जिसे सभी जगहों के सभी लोग आसानी से समझ सकें और इसे लाभांवित हो सकें। जिन लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता रहती है उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि यह घोषणा अस्तित्व में आ चुकी है और उन्हीं के लिए है। इस घोषणा को स्वीकार किये जाने की 71वीं वर्षगाँठ हम सबके लिए इस घोषणा के दर्शन के प्रति पुनः समर्पित होने का एक अवसर है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने स्वीकार किये जाने के दिन थी। मुझे आशा है कि आप इसे अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे।

बान की मून

महासचिव

प्रस्तावना:

आज यह कल्पना करना कठिन है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तब कैसे आधारभूत परिवर्तन का प्रतीक रही होगी जब इसे 60 वर्ष पहले अपनाया गया था। युद्ध के बाद विध्वंस से भयभीत उपनिवेशवाद से बटी और असमानताओं से टूटी-बिखरी दुनिया में अन्तर्निहित मान-मर्यादा और रंग, पंथ या मूल से बेपरवाह सभी मनुष्यों में समानता से पहले सार्वभौमिक और विधिवत् प्रण को सीमांकित करता एक घोषणापत्र, एक निर्भीक और साहसिक प्रतिज्ञा थी, ऐसी जिसकी सफलता निश्चित नहीं थी। इसमें उन सभी आधारभूत स्वतंत्रताओं के संरक्षण का एक ऐसा व्यापक ढाँचा बन उठा है जिसके हम अधिकारी हैं। यही तथ्य घोषणा के मसौदाकारों के दर्शन को एक श्रद्धांजलि है और उन सभी मानवाधिकार संरक्षकों को भी जिन्होंने छः दशकों से भी अधिक समय तक इस दर्शन को एक वास्तविकता बनाने के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष दूर तक जायेगा और उसमें भी घोषणा की ताकत है। यह एक जीवित दस्तावेज है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।

लुई आर्बर,

मानवाधिकार उच्चायुक्त

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा:

10 दिसम्बर, 1948 को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। ऐतिहासिक कार्य के बाद ही इसेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की, वे इस घोषणा का प्रचार-प्रसार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किये बिना, विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थानों में इसके प्रचार, प्रदर्शन पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें। इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की इन पाँच भाषाओं में प्राप्य है, अंग्रेजी, चीनी, फ्राँसीसी, रूसी और स्पेनिश। अनुवाद का जो पाठ यहाँ दिया गया है, वह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

प्रस्तावना:—

चूँकि मानव परिवारों के सभी सदस्यों की जन्मजात प्रतिष्ठा तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व-शान्ति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूँकि मानवाधिकारों की अवहेलना और घृणा के फलस्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की अन्तर्भावना उत्पीड़ित हुई है, चूँकि ऐसी विश्व-व्यवस्था की उस स्थापना को जिसमें लोगों को अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी, जनसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित की गयी है। चूँकि अगर अन्यायमुक्त शासन और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उसे अन्तिम उपाय समझ कर मजबूर

नहीं हो जाना है तो कानून के शासन द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। चूँकि राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों का बढ़ाना आवश्यक है चूँकि संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जनता के बुनियादी मानवाधिकारों में मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा और योग्यता में और नर-नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को चार्टर में दोहराया गया है और यह निश्चित किया गया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के लिए सामाजिक प्रगति एवं जीवन यापन के बेहतर स्तर को प्रोन्नत किया जाये। चूँकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे। चूँकि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का स्वरूप ठीक-ठीक समझना सबसे अधिक जरूरी है, इसलिए अब महासभा घोषित करती है कि मानवाधिकारों की यह सार्वभौम घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की साझा उपलब्धि है कि जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा को निरन्तर दृष्टि में रखते हुए शिक्षण और शिक्षा के द्वारा प्रयास करेगा कि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना प्रवर्तित हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जायें जिनसे सदस्य देशों की जनता उनके द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराये।

अनुच्छेद-1

प्रतिष्ठा और अधिकारों की दृष्टि से समस्त मानव प्राणी स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं। वे तर्क तथा विवेक से सम्पन्न हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ मातृभाव से पेश आना चाहिए।

अनुच्छेद-2

इस घोषणा में सन्निहित समस्त अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म तथा अन्य स्थिति जैसे किसी भी भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जिस किसी भी देश या राज्यक्षेत्र का रहने वाला हो उसका उसके देश के राजनीतिक अथवा अधिकार क्षेत्रीय या उसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, चाहे वह देश स्वाधीन, न्यासाधीन, गैर-स्वशासित अथवा प्रभुसत्ता के किसी अन्य प्रतिबंध के अधीन आता हो। अनुच्छेद-3 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद-4

किसी को भी गुलामी या बेगारी की स्थिति में नहीं रखा जायेगा, दासता और दास व्यापार अपने सभी प्रकारों में प्रतिबंधित होगा।

अनुच्छेद-5

किसी को भी शारीरिक यातना या उसके साथ क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक बर्ताव नहीं किया जायेगा और न किसी को अमानुषिक दण्ड दिया जायेगा।

अनुच्छेद-6

हर किसी को हर कहीं कानून की दृष्टि में व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है।

अनुच्छेद-7

कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना कानून का संरक्षण प्रत्येक को प्राप्त है। इस घोषणा का उल्लंघन करते हुए यदि कोई भेदभाव किया जाता है या भेदभाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सबको प्राप्त है।

अनुच्छेद-8

संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से प्रभावी समाधान प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद-9

किसी भी व्यक्ति को निरंकुश तरीके से गिरफ्तार, नजरबंद नहीं किया जा सकता या देश निकाला नहीं दिया जा सकता।

अनुच्छेद-10

प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से पूर्णरूपेण अधिकार है कि उसके अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के सम्बन्ध में और उस पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उसकी सुनवायी न्यायोचित एवं सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय द्वारा की जाये।

अनुच्छेद-11

1. प्रत्येक व्यक्ति जो दण्डनीय अपराध से आरोपित किया गया है उसे उस समय तक निर्देश माने जाने का अधिकार होगा जब तक उसे सार्वजनिक सुनवायी के बाद अदालत द्वारा, जहाँ उसे अपनी सफाई पेश करनी की सभी आवश्यक सुविधायें मुहय्या करायी गई हों, कानून के अनुसार दोषी न सिद्ध कर दिया जाये।

2. किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने या न करने के लिए अपराधी नहीं माना जायेगा जो उस समय किया या न किया गया होगा जब राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के

तहत वह दण्डनीय अपराध नहीं माना जाता था और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जायेगा जो उस समय दिया जाता जब वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद-12

किसी भी व्यक्ति के परिवार, उसके घर या पत्र व्यवहार की एकान्तता (प्राइवैसी) के साथ मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, और न उसके सम्मान तथा प्रतिष्ठा पर आक्षेप किया जायेगा। इस प्रकार के हस्तक्षेप या हमलों के विरुद्ध व्यक्ति को कानूनी बचाव का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद-13

1. प्रत्येक व्यक्ति को हर राज्य की सीमाओं के अंदर आवागमन और आवास की स्वतंत्रता प्राप्त है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने सहित किसी भी देश को छोड़ने तथा अपने देश वापस लौटने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद-14

1. उत्पीड़न किये जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अन्य देशों में शरण लेने का अधिकार है।

2. इस अधिकार का सहयोग विशुद्धतया गैर-राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध किये गए कृत्यों से उत्पन्न अभियोजनों के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-15

1. प्रत्येक व्यक्ति को एक राष्ट्रियता का अधिकार है।

2. किसी भी व्यक्ति के मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रियता से खारिज नहीं किया जा सकता और न उसे राष्ट्रियता बदलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

अनुच्छेद-16

1. वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को, नस्ल, राष्ट्रियता या धर्म के आधार पर किसी पाबंदी के बिना आपस में विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। उन्हें विवाह के सम्बन्ध में, विवाह के दौरान तथा विवाह को भंग करने के पूर्ण अधिकार है।

2. विवाह केवल अभिलाषी युवक और युवती की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति पर ही किया जा सकता है।

3. परिवार समाज की स्वाभाविक एवं बुनियादी गुण इकाई है अतएव उसे समाज तथा राज्य से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।

अनुच्छेद-17

1. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले तथा अन्यो के साथ मिलकर सम्पत्ति के स्वामित्व का अधिकार है।

2. किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी सम्पत्ति के स्वामित्व से बेदखल नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-18

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, सोच और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में अपना धर्म या मत बदलने की स्वतंत्रता, अकेले या समुदाय में अन्य लोगों के साथ सामूहिक रूप से उपदेश, आचरण, उपासना और अनुपालन द्वारा अपने धर्म या मत को मानने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद-19

प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी विचार को अपनाने और उसे व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होने का अधिकार है। इस अधिकार में किसी हस्तक्षेप के बिना मत अपनाने तथा बिना किन्ही सीमाओं के सूचना और विचार ग्रहण करने, खोजने और प्रचारित करने की स्वतंत्रता शामिल है।

अनुच्छेद-20

1. प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित करने संघबद्ध होने की स्वतंत्रता का अधिकार है।

2. किसी को भी संघविशेष का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद-21

1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में, प्रत्यक्ष या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोक सेवा में समानता के आधार पर प्रवेश करने का अधिकार है।

3. सरकार की सत्ता जनता की इच्छा पर ही टिकी होगी, इस इच्छा का प्रकटन नियतकालिक एवं यथार्थ रूप से वास्तविक चुनावों में होगा जो सार्वजनिक तथा समान मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान या इसी के समान किसी अन्य स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया से कराये जायेंगे।

अनुच्छेद-22

समाज के सदस्य के नाते प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयासों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तथा प्रत्येक राज्य के संगठन और संसाधनों के अनुरूप अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का पात्र है।

अनुच्छेद-23

1. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, अपनी पसंद के अनुसार रोजगार चुनने, न्यायोचित तथा अनुकूल परिस्थितियों में काम करने एवं बेरोजगारी से संरक्षण पाने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार है।

3. काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इतना न्यायोचित एवं अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपने तथा अपने परिवार के लिए मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल आजीविका की व्यवस्था कर सकेगा तथा आवश्यक होने पर सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसकी पूर्ति हो सकेगी।

4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा करने के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।

अनुच्छेद-24

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और फुरसत के क्षण बिताने का अधिकार है जिसमें कार्यावधि या काम के घंटों की यथोचित सीमा तथा नियतकालिक सवेतन अवकाश शामिल है।

अनुच्छेद-25

1. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उपयुक्त हो जिसमें खाद्य परिधान, आवास और चिकित्सा व्यवस्था और आवश्यक सामाजिक सेवायें और बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, वैधव्य, वृद्धावस्था या अपने देश से बाहर परिस्थितियों में आजीविका के साधन लुप्त हो जाने की स्थिति में संरक्षण के अधिकार शामिल हैं।

2. जच्चा और बच्चा विशेष देखभाल तथा सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चों को, चाहे वह विवाहिता से या अविवाहिता से उत्पन्न हुए हों, उन्हें समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद-26

1. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कम से कम प्रारम्भिक और बुनियादी चरणों में शिक्षा निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी

और वयासायिक शिक्षा सामान्य तौर पर उपलब्ध रहेगी तथा उच्चतर शिक्षा योग्यता के आधार पर सबकी पहुँच के अन्दर होगी।

2. शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को सुदृढ़ करना होगा। यह सभी राष्ट्रों एवं धार्मिक गुणों के बीच सद्भावना को प्रवर्तित करेगी और शान्ति बनाये रखने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को बढ़ावा देगी।

3. अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दिलानी है, यह निश्चित करने का अधिकार अभिभावकों को होगा।

अनुच्छेद-27

1. प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त रूप से समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कलाओं का आनन्द उठाने और इसके वैज्ञानिक उन्नयन तथा उससे हुए लाभों का उपभोग करने का अधिकार है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से संबद्ध नैतिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसकी रचना उसने स्वयं की हो।

अनुच्छेद-28

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णरूप से प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद-29

1. प्रत्येक व्यक्ति का उस समुदाय के प्रति दायित्व है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो सकता है।

2. अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित उन सीमाओं से बंधा रहेगा जिनका एकमात्र उद्देश्य अन्यो के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को उचित पहचान और मान्यता देना तथा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सर्वसाधारण के कल्याण की न्यायसंगत आवश्यकताओं को पूरा करना है।

3. इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-30

इस घोषणा के किसी भी अंश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि किसी देश, गुप या व्यक्ति को इसमें प्रदत्त किसी भी अधिकार या स्वतंत्रता को समाप्त करने के उद्देश्य से कोई भी कार्य करने का अधिकार मिल जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र,
55 लोधी एस्टेट,
नई दिल्ली-110003.

विश्व मानवाधिकार परिषद् से क्यों जुड़ें ?

1. आम लोगों की मदद के लिए निःस्वार्थ कार्य करना ।
2. अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने एवं और आम लोगों को जागरूक करने के लिए उनको जानकारी देना ।
3. मनुष्य स्मिता को बढ़ाने, विश्व निर्माण में योगदान देने के लिए कार्य करना ।
4. अन्याय, अव्यवस्था, शोषण, अराजकता, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद के विरुद्ध आवाज उठाना ।
5. अधिक से अधिक लोगों से परिचय और सम्बन्ध बनाने के लिए आम जनता को जागरूक होना ।
6. सम्मानजनक स्थिति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कार्य करना ।
7. कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में शासन प्रशासन को सहयोग करने के लिए कार्य करना ।
8. समाज में अधिक से अधिक दयाभाव को बढ़ाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए आगे से आगे कदम उठाए ।

हमारा उद्देश्य:

1. देश के नागरिकों को एकजुट एवं जागरूक करना ।
2. देश के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं उनके मान-सम्मान की सुरक्षा करना ।
3. देश के नागरिकों को शैक्षिक, सामाजिक रूप से शक्तिशाली बनाना ।
4. नागरिकों के समस्त संवैधानिक अधिकारों के प्रति नागरिकों को जागरूक करना ।
5. शासन, प्रशासन एवं पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित कर भ्रष्टाचार एवं अपराधों को रोकने में उनका सहयोग करना एवं पीड़ितों को न्याय दिलाना ।
6. समस्त जनसाधारण का सामाजिक नैतिक, चारित्रिक व बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों में द्वेष प्रेम एवं वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना ।

7. भारतीय संविधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना।
8. भ्रष्टाचार, आतंकवाद, महिला हिंसा, बाल श्रम, शोषण, अव्यवस्था आदि वर्तमान ज्वलन्त समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी-अर्द्धसरकारी संस्थाओं के सहयोग से उन्हें दूर करने का प्रयास करना।
9. मानवाधिकारों की जानकारी के लिए आम जनता को जागरूक करने एवं मानवाधिकार संरक्षण के प्रचार-प्रसार हेतु पत्र-पत्रिका का प्रकाशन करना एवं समय-समय पर सेमिनार एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना।
10. शासन-प्रशासन के साथ सहयोग स्थापित कर अपराध व शोषण रोकने का प्रयास करना।
11. भारत सरकार द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 का जन-जन में प्रचार-प्रसार करना जिससे आम आदमी उसका लाभ प्राप्त कर सके।
12. विश्व मानवाधिकार परिषद् की राष्ट्रीय, जोन-नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, प्रदेश, मण्डल, जिला, तहसील, ब्लॉक, नगर स्तर पर टीम गठित करके संचालन करना एवं इसी प्रकार समस्त प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी भी होगी (-अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ विधि प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, यूथ प्रकोष्ठ, सूचना आर0टी0आई0 प्रकोष्ठ ,ओ0बी0सी0 एवं एस0सी0ए0टी0 प्रकोष्ठ) आदि का गठन करना।

क्या कहता है मानवाधिकार:

विश्व मानवाधिकार परिषद मुख्य उद्देश्य है कि दूसरों के साथ कभी भी वह व्यवहार न करें जो आपको स्वयं के साथ किया जाना पसन्द न हो। अपने अधिकारों को जानें और दूसरों को भी जागरूक करें। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अग्रणी भूमिका निभायें। विश्व मानवाधिकार परिषद से जुड़कर मानव अधिकार एवं विधिक सहायता केन्द्र प्रारम्भ करें और शोषण, असमानता तथा उत्पीड़न के विरुद्ध सशक्त आवाज बनें। याद रखें मानव अधिकार का उल्लंघन न केवल किसी व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। इस सम्बन्ध में घोषित चार्टर को विश्व के लगभग सभी देशों का समर्थन प्राप्त है। भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन आम लोगों की जागरूकता के अभाव में मानवाधिकारों की रक्षा का कोई भी प्रयास बेईमानी है। विश्व मानवाधिकार परिषद विविध सरकारी विभागों, निकायों, विधिव्यक्ताओं, शिक्षाविदों, जागरूक नागरिकों तथा आम लोगों से सामान्यस्थ स्थापित कर और उनका

सहयोग लेकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मानवाधिकारों के प्रति यदि आप जागरुक हैं साथ ही उत्साही भी तो हमें बस आपकी प्रतिक्रिया है।

मानवाधिकार हनन के प्रमुख मामले:

महिला उत्पीड़न, दहेज, दहेज हत्या, दूसरी शादी, श्रमिक शोषण, बाल श्रम, सम्प्रदायिक हिंसा, कैदियों का उत्पीड़न, झूठे मामले, गैर कानूनी कार्य, पुलिस कार्य में विफलता, भुखमरी, एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करना, ठेकेदारी में बेइमानी, बलात्कार, बिना सूचना नौकरी से निकाल देना, फर्जी मुठभेड़, मजदूरी कराकर पैसे न देना।

ऐसे या इस प्रकार के किसी भी मामले की सूचना प्राप्ति पर विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा आगे बढ़कर कदम उठाये जाते हैं। सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों, विभागों व निकायों के संज्ञान में मामले को लाने के साथ ही पीड़ित अथवा पीड़िता को न्यायिक उपचार व क्षतिपूर्ति दिलाना भी हमारी प्राथमिकता में सर्वोच्च है।

सरकार या सरकारी विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध जनहित याचिका।

आम जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि सुविधाओं के अभाव जैसे विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, परिवहन व्यवस्था, रेलवे, खराब सड़क, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, सरकारी अधिकारियों-विभागों द्वारा लापरवाही, पुलिस हिरासत में मृत्यु, कैदियों की सुरक्षा, जेल सुधार, पुलिस उत्पीड़न, अनुसूचित जाति-जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार, न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन, सूचना अधिकार, कानून, मनरेगा, प्रदूषण, कल्याण योजनाओं के क्रियान्वन में लापरवाही, मौलिक अधिकारों का हनन, रैगिंग आदि के सम्बन्ध में कोई भी नागरिक न्यायिक उपचार पाने का अधिकारी है। यह उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों में जनहित याचिका (निःशुल्क एवं सशुल्क) के रूप में भी सम्भव है।

करो स्वीकार : सभी का मानवाधिकार

आगे बढ़े। अपने अधिकारों को जानें और आम जनता को जागरुक करे।

केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की अवहेलना।

हमारे आस-पास प्रतिदिन ऐसी घटनायें घटती हैं जो केन्द्र एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है लेकिन जागरुकता एवं जानकारी के अभाव के कारण लोग मूकदर्शक बने रहते हैं। सरकार की अनेक लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो आम लोगों को है भी नहीं जबकि इसमें से अनेक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पीड़ितों, वंचितों, हरिजनों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों

तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष रूप से तैयार तथा क्रियान्वित की गयी हैं।

उदाहरण :-

1. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग गाय भैंस बकरी आदि जानवरों के पालन के लिए ग्रामीण बैंक से 33 प्रतिशत अनुदान पर ऋण लें।
2. खेतों में फूल-फल औषधि की खेती व बागबानी के लिए 50 से 80 प्रतिशत अनुदान के साथ किसान ऋण प्राप्त करें।
3. मधुमक्खी पालन, मछली पालन सब्जी की खेती के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान।
4. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 5000 रुपये की सहायता राशि।
5. अर्न्तजातीय विवाह करने पर 25000 हजार रुपये की प्रोत्साहन सह सहायता राशि।
6. ड.ट.।बि की ल्छ।छव ळ्ठ योजना में धारा 161 के तहत अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर 25000 रुपये का मुआवजा।

7. सूखा, भूकम्प, अग्नि, बाढ़, हिमपात, बादल फटने, कीट आक्रमण, वज्रपात, निर्दोष हत्या, पानी में डूबकर मृत्यु, इसके अतिरिक्त, विद्युत दुर्घटना, वाहन दुर्घटना, भवन दुर्घटना, साम्प्रदायिक हिंसा, चिकित्सा में लापरवाही, रेल दुर्घटना, शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना, जैसी स्थितियों में पीड़ित/पीड़िता व्यक्ति एवं पक्ष, न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति/मुआवजा हिंसा, चुनावी हिंसा, जीव जन्तु तथा कीड़े-मकोड़े के काटने से मृत्यु, गलत प्रश्नपत्र तथा देर से परीक्षा होने की स्थिति में भी बात लागू होती है।

अनुसूचित जातिधजनजाति उत्पीड़न एवं उपचार।

अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ खिलाना या पिलाना क्षति पहुँचाना, अपमानित करना, क्षुब्ध करना अनादरसूचक कार्य, अवैध कब्जा बेगार, बलात्कार बन्धुवा मजदूरी, मतदान के अधिकार से वंचित करना, झूठा द्वेषपूर्ण तथा तंग करने वाले मामले में झूठी गवाही, सरकारी तंत्र के हाथों उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता, हत्या, मृत्यु, नरसंहार, सामूहिक बलात्कार, घर जला देना, जैसे मामलों पर सरकार, जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से 25000 रुपये से 2 लाख रुपये तक पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि देती है। अनुसूचित जातिधजनजाति का मकान जलने पर इंदिरा आवास मिलता है। विश्व मानवाधिकार परिषद ने अब तक पूरे देश में अनेक मामलों को संज्ञान में लेकर प्रभावी कदम उठाये हैं जिसका सीधा लाभ पीड़ित पक्ष को मिला है। यदि आपको न्यायिक सहायता अथवा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सहयोग की जरूरत हो तो आपका स्वागत है। इसके साथ ही विधिक सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के वैसे अनेक निर्णयों की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र में मील का पत्थर बनें। सम्भव है कि उनमें से कोई, आपके संदर्भ में बेहद

महत्वपूर्ण हो। इसके साथ ही, यदि मानवाधिकारों के प्रति आपमें श्रद्धा है और आप जागरुक बनकर न केवल समाज को दिशा देना चाहते हैं बल्कि अपने कैरियर को भी एक नयी ऊँचाई देना चाहते हैं तो साथ आयें। शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी और अधिवक्तागण भी इस सन्दर्भ में सम्पर्क करें।

विश्व मानवाधिकार परिषद जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी ।

अपना अधिकार जानें और और आम जनता को जागरुक करे।

एक का अधिकार, दूसरे का कर्तव्य है।

हमारी माँगें:-

1. माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही मानवाधिकार को एक पृथक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।

2. सभी लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से परिचित कराने के लिए व्यापक जागरुकता अभियान चलाया जाये।

3. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की तरह विधवा एवं परित्यक्तता महिलाओं को पेंशन देने के लिए न केवल प्रभावी योजना बनायी जाये बल्कि, उसे सही तरीके से कार्यान्वित भी किया जाये।

4. प्रतिष्ठित एवं निजी अस्पतालों में गरीबों को स्थान देते हुए उनकी चिकित्सा की सुनिश्चित व्यवस्था की जाये।

5. प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें स्थान दिया जाये।

6. महिला उत्पीड़न, दहेज आदि मामलों में सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित हो।

बेरोजगारी तथा गरीबी,

अनेकानेक अपराधों की जड़ में कहीं-न-कहीं मौजूद है।

आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, लोगों की गरीबी दूर करें।

अपनी गरीबी दूर करें।

स्वयं को रोजगार दें.... लोगों को रोजगार दें।

यही समयानुकूल तथा सही कदम है।

करो स्वीकार : सभी का मानवाधिकार।

विश्व मानवाधिकार परिषद में आपका स्वागत है:—

आपको जानकर खुशी होगी कि विश्व मानवाधिकार परिषद की टीम लगातार समाज से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करेगी जिसमें प्रमुख है

1. सामाजिक बुराईयों के खिलाफ पहल करना और उनके खिलाफ आवाज उठाना तथा पीड़ितों को बुराईयों से निजात दिलाना।
2. बाल व बन्धुआ मजदूरी के अत्याचार से मुक्ति दिलाना।
3. बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों की रक्षा के लिये काम करना।
4. समाज के लिए योगदान करने वाली हस्तियों को समय-समय पर पुरष्कृत करके उनका सम्मान करना।
5. समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना।
6. जनता तथा पुलिस के बीच में सहयोग का पुल बनाना तथा पीड़ितों को न्याय दिलाना।
7. भ्रूण हत्या पर हर सम्भव रोक लगाना व उनके खिलाफ आवाज उठाना।
8. हर वर्ग के कमजोर व्यक्तियों को समाज में न्याय दिलाना।
9. समाज के सभी गरीब बच्चों महिलाओं बुजुर्गों व विकलांग व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जाँच कैंम्प लगाना और दवाइयां उपलब्ध कराना।
10. विश्व मानवाधिकार परिषद की समाज के हर व्यक्ति से अपील है कि आइये हम सब मिलकर समाज सेवा का हिस्सा बनें और समाज को अपराधमुक्त बनाने में सहयोग करें।
11. विश्व मानवाधिकार परिषद संगठन की टीम आम जनता की हर समय निःस्वार्थ भाव से सेवा में तत्पर है और आम जनता के सहयोग के साथ काम करेंगे।
12. विश्व मानवाधिकार परिषद का हर सम्भव प्रयास रहेगा कि हर वर्ग समाज में व्याप्त भय एवं भूख से मुक्त होकर सुख शान्ति और सम्मान के साथ जीवन बिता सके यही मानवाधिकार है।

विश्व मानवाधिकार परिषद एक परिचय :—

विश्व मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक ट्रस्ट है जिसका पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। यह एक गैर-सरकारी, गैर-राजनैजिक राष्ट्रीय संगठन है। हमारा कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना और आम जनता के अधिकारों के हो रहे हनन और समाज फैले भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए शासन प्रशासन को अवगत करना मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकार की घटनाएं निरन्तर

बढ़ती जा रही हैं जिसमें मानव उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण एवं बाल श्रम जैसी घटनाएँ प्रमुख हैं। जेल में बन्द कैदियों की स्थित दयनीय एवं चिन्ताजनक है। देश में भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद जैसी समस्याएँ दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। आजादी के 71 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी अधिकांश भारतवासी बेहतर शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शुद्ध पेयजल, न्याय, समानता और विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे संविधान में जाति, धर्म, वंश मूल, लिंग, अमीरी, गरीबी, शिक्षित-अशिक्षित किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। संविधान में देश के प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक एवं प्रकृतिक स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ ही साथ गरिमामय जीवन यापन करने की भावना निहित की गयी है। इसको व्यवहारिक रूप से लाने के लिए संविधान में विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की व्यवस्था की गयी है। इसी आधार पर हमारे देश का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। परन्तु विडम्बना यह है कि इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सका है? गाँव मोहल्लों में सफाई नहीं होती, राशन की दुकान में सामान सही से नहीं मिलता, सरकारी दफ्तरों में बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होता, अस्पतालों में दवाईयाँ नहीं मिलतीं, डाक्टर नर्स मरीजों पर ध्यान नहीं देते, सड़कें टूटी फूटी हैं, ग्राम-स्तर के अधिकारी से लेकर राजनेता सांसद, विधायक, मंत्री तक ध्यान नहीं देते, गाँवों एवं पिछड़े इलाकों में बिजली ठीक से नहीं मिलती। इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए हमारा संगठन प्रयासरत है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन का गठन किया गया। हमारा कार्य लोगों को जागरूक करना है। हम किसी भी सरकारी योजनाओं का संचालन नहीं करते हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को संगठन की ओर से चन्दा इकट्ठा करने को अधिकृत नहीं किया है क्योंकि संगठन किसी भी प्रकार का चन्दा नहीं लेता है। संगठन अपने सदस्यों के सहयोग से अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है। अगर आप अपना कार्य किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे कार्यालय भेज रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि वह व्यक्ति आपका विश्वस्त हो। किसी भी तरह की जानकारी के लिए संगठन के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें जो आपकी निःस्वार्थ भाव से आपकी पूरी मदद करेंगे जिससे आपकी आवाज को हम अपने संगठन के माध्यम से शासन-प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा सके मानव सेवा ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है।

मानव अधिकार एवं गैर-सरकारी संगठन:-

गैर-सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को यह कहा जाता है कि जो बिना लाभ के धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोक कल्याणकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में न तो कोई अन्तर-सरकारी करार होता है और न ही ये प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ

की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव 288 • फरवरी, 1950 को अंगीकार किया गया था जिसने परिभाषित किया कि गैर-सरकारी संगठन का अर्थ है कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जो कि अन्तर-सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है । विस्तृत अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे बिना लाभ के संगठन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जो कि सरकार से स्वतंत्र हो। ऐसे संगठनों के उदाहरण हैं अन्तर्राष्ट्रीय चौम्बर ऑफ कामर्स , अन्तर-संसदीय संघ फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और महिला अन्तर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिसंघ । गैर-सरकारी संगठन या तो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित व्यक्तिगत संगठनों की सदस्यता राष्ट्रीय स्तर पर होती है तथा वे अपने उद्देश्यों को अपने संविधान में परिभाषित करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों की सदस्यता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है एवं उनकी गतिविधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संपादित होती हैं। उन्हें लोक अभिरुचि समूह के सदृश्य समझा जाता है जिसका तात्पर्य है कि उनकी कार्यप्रणाली का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने सदस्यों के हित के लिये कार्य करेंगे वरन् वे लोकहित के कार्य करेंगे।

मानव अधिकार एवं गैर-सरकारी संगठन:-

गैर-सरकारी संगठन लगभग सभी राज्यों में स्थापित हैं। 1994 में यह आँकलित किया गया कि यूनाइटेड किंगडम में गैर-सरकारी संगठनों संख्या 275000 थी एवं गरीब देशों में इनकी अनुमानित संख्या 20000 है। तब से इनकी संख्या त्वरित गति से बढ़ रही है। यह अनुमानित किया गया कि 1999 में इनकी संख्या विश्व में 20 लाख थी। केवल भारत में यह अनुमानित किया गया कि उनकी संख्या 10 लाख है जो लगभग सम्पूर्ण विश्व के गैर-सरकारी संगठनों की संख्या से आधी है। बहुत से गैर-सरकारी संगठन मानव अधिकारों के अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए स्थापित किये गये हैं। उनकी गतिविधियाँ एवं सदस्यता मुख्यतः एक ही राज्य के दायरे में होती है किन्तु कुछ मानव अधिकार से सम्बन्धित संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किये गये हैं और उनकी सदस्यता भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। ऐसा समूहों के उदाहरण हैं । एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन एण्टी स्लेवरी सोसाइटी लंदन इण्टरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स जेनेवा , इण्टरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स अमेरिका, इण्टरनेशनल पेन और फ्रेंच लीग फॉर द डिफेन्स ऑफ द राइट ऑफ मैन एण्ड ऑफ द सिटिजन पेरिस, अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों का न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ विशेष सलाहकारी स्तर का सम्बन्ध होता है बल्कि उनकी सीधी पहुँच संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग, इसके अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं भेदभाव निरोधक उप-आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को तक होती है।

भारतवर्ष में मानवाधिकार:-

भारत एक मात्र ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा से ही अमन पसंद और शांति का पुजारी रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सक्रिय सदस्य रहा है। इसी आधार पर भारत के संविधान में उन सभी विचारों, आदर्शों, मूल्यों, मानकों एवं शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है जिनका संगठन मानवाधिकारों यू.एन. चार्टर में है। हमारे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार की घोषणा करता है और भाग 4 अनु. 36-51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करता है। परन्तु भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 46 वर्षों बाद तक जन प्रतिनिधियों एवं इनके सलाहकार प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान मानव संरक्षण कानून बनाने जैसे आम मुद्दों की तरफ नहीं गया। वर्ष 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयास से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। हमारी गणतन्त्र सरकार ने मानवाधिकारों की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितम्बर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा 1993 में किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही वर्ष 1994 में एक अधिनियम पारित कर राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह आयोग मानवाधिकारों के हनन और उल्लंघन के मामलों की जांच स्वयं या किसी के द्वारा शिकायत किये जाने पर करता है। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत है। देश के कुछ राज्यों में इनका गठन पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नयी दिल्ली में है। इस आयोग के अध्यक्ष पद पर मा. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है तथा अन्य सदस्य होते हैं। मानवाधिकार का हनन मानव द्वारा ही किया जाता है चाहे वह व्यक्ति दबंग हो या सरकारी लोकसेवक। इसमें विभाग या कुर्सी से कोई मतलब नहीं होता। उत्पीड़नकर्ता चाहे कितनी ही उच्च या सशक्त पद पर हो परिवार में उसकी हैसियत पर साधारण अभियुक्त जैसी ही होती है तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस समय उसे मानव उत्पीड़न का एहसास हो जाता है।

सदस्यों के लिए नियम एवं उपनियम:-

- 1.विश्व मानवाधिकार परिषद के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी संगठन में स्वयंसेवी के रूप में कार्य करेंगे इसके लिये किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं है।
- 2.सदस्यता अहस्तानांतरणीय है। सदस्यता शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।
- 3.पहचान पत्र की वैधता समाप्त होने पर उसे मुख्य कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। वैधता समाप्त होने पर पहचान पत्र का नवीनीकरण सदस्यता जारी रखने के लिए अनिवार्य है।
- 4.सभी सदस्यों को अपने सम्बन्धित मुख्यालय में अपने सम्बन्धित पदाधिकारियों से माह में एक बार मिलना अनिवार्य है।

5.संगठन की नीति के विरुद्ध कार्य करने पर सम्बन्धित कार्यकर्ता पदाधिकारी को संगठन ही सदस्यता से निलम्बित किया जा सकता है।

6.किसी भी प्रकार की शंका सवाल या जानकारी के लिए विश्व मानवाधिकार परिषद के कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

7.विश्व मानवाधिकार परिषद के घोषित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने कि लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय के साथ –साथ राज्य ,मंडल , जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर अनिवार्य रूप से किया जाये जिससे समाज का कोई भी इंसान अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त करने से वंचित न रहे।

सदस्यता के लिये नियम:-

1.मैं स्वेच्छापूर्वक विश्व मानवाधिकार परिषद के उन सभी नियमों को स्वीकार करता हूँ/करती हूँ जो व्यक्तियों के नागरिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।

2.मैं उन सभी शक्तियों का विरोध करूंगा/करूंगी जो किसी भी व्यक्ति का गैरकानूनी प्रकार से उत्पीड़न करते हैं।

3.मैं विश्व मानवाधिकार परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति एवं मानव अधिकार के संरक्षण हेतु निःस्वार्थ कार्य करूंगा/करूंगी।

4.मैं अपने कार्यों में पारदर्शिता तथा विश्व मानवाधिकार परिषद के लिए उत्तरदायी होने का पूर्ण निर्वाह करूंगा/करूंगी।

5.मैं समाज के अवांछनीय, असामाजिक तथा अपराधिक मामलों पर ध्यान दिया करूंगा/करूंगी।

6.मैं विश्व मानवाधिकार परिषद के कार्यों और बैठकों में हिस्सा लूंगा/लूंगी तथा दिये गये कार्यभार एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संविधान-सम्मत रूप से दिये गये कार्यों को स्वीकार करूंगा/करूंगी।

7.मैं विश्व मानवाधिकार परिषद के उद्देश्यों के विपरीत कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी। यदि मैं उद्देश्यों की अवहेलना करता पाया जाऊँ तो मेरी सदस्यता बिना कोई सूचना दिये तुरन्त समाप्त कर दी जाए।

8.विश्व मानवाधिकार परिषद की सदस्यता प्राप्त कर मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होना चाहता हूँ/चाहती हूँ जिन्हें आपके सम्मानीय विश्व मानवाधिकार परिषद के सदस्य होने का गौरव प्राप्त है।

